

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र. 1629-वि.यो.-648-नरसिंहपुर-नग्रानि-2023

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिए नरसिंहपुर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—<https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/NrsngP2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नरसिंहपुर म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नरसिंहपुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर या ई-मेल आईडी obj-sugg-narsinghpur@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

No. 1629-D.P.-648-Narsingpur-TCP-2023

Bhopal, the 29th March 2023**NOTICE**

Notice is hereby given that the Narsingpur Development Plan, 2035 for Narsingpur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section-18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website—<https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/NrsngP2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, M.P.
2. Collector, District- Narsingpur, M.P.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Narsingpur, M.P.
4. Joint Director, Town and Country Planning, District office, Jabalpur, M.P.

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Narsingpur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Jabalpur or mail on Email-id-obj-sugg-narsinghpur@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD-Cum-Commissioner-Cum-Director.



नरसिंहपुर
विकास योजना 2035
(प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

प्रस्तावना

नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला 25°45 उत्तरी अक्षांश एवं 78°38 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है इसकी समुद्र तल से औसत उंचाई 359.8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नरसिंहपुर उत्तर में सागर, दक्षिण में होशंगाबाद, पूर्व में जबलपुर एवं पश्चिम में रायसेन जिले से घिरा हुआ है। नरसिंहपुर नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 गुजरने के कारण इसका संपर्क प्रदेश के मुख्य नगरों से द्रुतगति से है।

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-79-2006-32 भोपाल, दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई है। भारत सरकार की अमृत गाईड लाईन के अनुसार नरसिंहपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) को तैयार किया गया। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख हेतु विकास योजना तैयार की गई है। विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं।

नरसिंहपुर शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है। इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है। इस कार्य में नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है।

उपांतरित नरसिंहपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। प्राप्त सुझाव न केवल विकास योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहायक होंगे, बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप नगर को सुनियोजित रूप देने में भी सहायक होंगे।


 आयुक्त सह संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 मध्यप्रदेश भोपाल

नरसिंहपुर विकास योजना 2035

योजना दल

संयुक्त संचालक

आर. के. सिंह

सी.के. साधव

डॉ. अमित कुमार गजभिये

सहायक संचालक

विपुल माहुले

इंदु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

आर. बी. पटेल
राजेश दीवान
रंजीत धुवारे
रश्मि दीक्षित
रश्मि रैकवार
अमित पाटिल

आर. एस. पटेल
अनिल सक्सेना
अरविंद सक्सेना
सर्वेश पिडिहा
सरिता ठाकुर
मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल

डॉ. विवेक कटारे

(प्रमुख,

भूमि उपयोग एवं शहरी

सर्वेक्षण प्रभाग)

तन्वी जैन

(रिसर्च एसोसिएट-1)

शैलेजा देसाई

(रिसर्च एसोसिएट-1)

विषय सूची

प्रस्तावना

योजना दल

विषय सूची

सारणी सूची

मानचित्र सूची

अध्याय—1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1.3 नगर का महत्व

1.1.4 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

1.2.2 जलवायु

1.2.3 वायु दिशा

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

1.5.2 नगर पालिका नरसिंहपुर

अध्याय—2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

2.1.1 अमृत योजना

2.1.2 सुदूर संवेदन

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

2.2.1 उद्देश्य

2.2.2 कार्यप्रणाली

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping)

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता**2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प****2.5 भूमि उपयोग का आवंटन****अध्याय—3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण****3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन**

आवासीय

वाणिज्यिक

औद्योगिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं

आमोद-प्रमोद

यातायात एवं परिवहन

3.2 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन**3.3 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण****3.3.1 जनसंख्या विश्लेषण**

जनसंख्या लिंगानुपात

शिशु जनसंख्या

शिशु लिंगानुपात

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

साक्षरता

कार्यशील जनसंख्या

3.3.3

जनसंख्या घनत्व

3.3.4

जनसंख्या परिवर्तन

3.4 नगर के मुख्य कार्यकलाप**3.5 नगरीय विस्तार****3.6 अनुमानित जनसंख्या****3.6.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या**

नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या का आंकलन

जनसंख्या आंकलन (शहर)

ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

जनसंख्या आंकलन (ग्रामीण)

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

3.6.2 जनसंख्या आंकलन**3.7 गंदी बस्तियाँ**

3.8 आवास आवश्यकता

3.9 भौतिक अधोसंरचना

जल प्रदाय

नालियां तथा मल उपचार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

विद्युत प्रदाय

3.10

सामाजिक अधोसंरचना

शासकीय कार्यालय

शैक्षणिक

स्वास्थ्य

अग्निशमन

पुलिस कार्यालय

इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन

श्मशान घाट/कब्रिस्तान

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

सामाजिक एवं सांस्कृतिक

अध्याय –4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

4.2 योजना अवधारणा

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

4.4 भूमि उपयोग 2035

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

आवासीय

वाणिज्यिक

मिश्रित

औद्योगिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

आमोद-प्रमोद

यातायात एवं परिवहन

4.5 निवेश इकाईयों

4.6 मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

4.8 पुनर्विकास नीति

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

अध्याय 5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

5.3 अर्तनगरीय यातायात

रेल यातायात

सड़क मार्ग

5.4 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

मार्गों की श्रेणी

5.5 मार्गों की चौड़ाई

नरसिंहपुर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

नरसिंहपुर : वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5.6 यातायात पद्धति में सुधार

मार्ग संगमों में सुधार

रेलवे स्टेशन

बस स्थानक

वाहन विराम स्थल

अध्याय- 6 विकास नियमन

6.1 क्षेत्राधिकार

6.2 परिभाषायें

6.3 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

6.4 अन्य नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/बोर्डिंग

मैरिज गार्डन

शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण
छविगृहों के लिए मापदण्ड
मल्टीप्लेक्स

6.5 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

6.6 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

6.7 अन्य सुविधाएँ

6.8 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

पार्किंग हेतु सामान्य मानक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं आमोद-प्रमोद उपयोग परिक्षेत्र हेतु स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात

आधार तल क्षेत्रानुपात

अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

नरसिंहपुर: योजना क्रियान्वयन की लागत

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नियंत्रित विकास

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

नरसिंहपुर: प्रथम चरण लागत

7.8 संसाधन गतिशीलता

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

पर्यवेक्षण समिति का गठन

वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

7.10 योजना की व्याख्या

योजना कालावधि

परिभाषाएँ

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-3

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण
सारणी 1-सा-1	नरसिंहपुर से अन्य नगरों की दूरी
सारणी 1-सा-2	नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र
सारणी 2-सा-1	उपग्रह चित्रों के मानक
सारणी 2-सा-2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस
सारणी 2-सा-3	जियोस्पेशियल डाटा (मार्ग)
सारणी 2-सा-4	जियोस्पेशियल डाटा(बिल्डिंग फुटप्रिंट)
सारणी 2-सा-5	सीमाओं का वर्गीकरण
सारणी 2-सा-6	ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-7	मृदा विश्लेषण
सारणी 2-सा-8	जलाशयों का वर्गीकरण
सारणी 2-सा-9	भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-10	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-11	Weighted Index For Composite Land Suitability
सारणी 2-सा-12	Land Suitability Area
सारणी 3-सा-1	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
सारणी 3-सा-2	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन(मानचित्र अनुसार)
सारणी 3-सा-3	वाणिज्यिक विकास
सारणी 3-सा-4	औद्योगिक विकास
सारणी 3-सा-5	आमोद-प्रमोद विकास
सारणी 3-सा-6	यातायात एवं परिवहन विकास
सारणी 3-सा-7	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति
सारणी 3-सा-8	राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात
सारणी 3-सा-9	वार्ड वार कुल जनसंख्या विश्लेषण
सारणी 3-सा-10	वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 3-सा-11	शिशु जनसंख्या प्रतिशत
सारणी 3-सा-12	वार्डवार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 3-सा-13	वार्डवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
सारणी 3-सा-14	साक्षरता प्रतिशत
सारणी 3-सा-15	कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत
सारणी 3-सा-16	वार्डवार जनसंख्या घनत्व
सारणी 3-सा-17	जनसंख्या घनत्व
सारणी 3-सा-18	जनसंख्या परिवर्तन
सारणी 3-सा-19	नरसिंहपुर नगर निगम क्षेत्र में दशक वृद्धि दर
सारणी 3-सा-20	ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर
सारणी 3-सा-21	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी क्रमांक	विवरण
सारणी 3-सा-22	नरसिंहपुर न0पा0नि0 क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन
सारणी 3-सा-23	ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या आकलन
सारणी 3-सा-24	नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2035
सारणी 3-सा-25	गंदी बस्ती का विवरण
सारणी 3-सा-26	आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2011
सारणी 3-सा-27	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकताएं
सारणी 3-सा-28	जल आपूर्ति आकलन
सारणी 3-सा-29	जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता
सारणी 3-सा-30	शैक्षणिक सुविधाएं
सारणी 3-सा-31	स्वास्थ्य सुविधाएं
सारणी 4-सा-1	प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035
सारणी 4-सा-2	निवेश इकाईयां
सारणी 4-सा-3	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति
सारणी 5-सा-1	मागों की प्रस्तावित चौड़ाई
सारणी 5-सा-2	वर्तमान मागों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई
सारणी 6-सा-1	भू-उपयोग परिक्षेत्र
सारणी 6-सा-2	आवासीय भूखण्ड विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-3	नरसिंहपुर वर्तमान आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र
सारणी 6-सा-4	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड
सारणी 6-सा-5	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
सारणी 6-सा-6	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां
सारणी 6-सा-7	आधारतल क्षेत्र अनुपात
सारणी 7-सा-1	नरसिंहपुर योजना क्रियान्वयन की लागत
सारणी 7-सा-2	प्रथमचरण के विकास संबंधी घटक
सारणी 7-सा-3	नरसिंहपुर: प्रथम चरण लागत

मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक
1.1	Regional Setting
1.2	Location Map of Planning Area
1.3	Planning Area
2.1	Digital Elevation Model
2.2	Building Footprint
2.3	Soil Texture
2.4	Contour
2.5	Slope
2.6	Lithology
2.7	Groundwater Prospects
2.8	Earthquakes Zones
2.9	Land Value
2.10	Geomorphology
2.11	Waterbody Buffer
2.12	Road Buffer
2.13	URBAN Land Suitability (Model-1)
2.14	URBAN Land Suitability (Model-2)
2.15	URBAN Land Suitability (Model-3)
3.1	Existing Landuse
3.2	Ward Map
3.3	Ward Wise Population Distribution (Density)
3.4	Ward Wise Sex Ratio
3.5	Ward Wise Child Population (0-6)
3.6	Ward Wise Child Sex Ratio
3.7	Ward Wise SC/ST Population
3.8	Ward Wise Literacy
3.9	Ward Wise Work Participation
3.10	Urban Sprawl
3.11	Existing ATM
3.12	Existing Community Toilet
3.13	Cell Tower
3.14	Over Head Tank
4.1	Proposed Landuse
4.2	Planning Unit
4.3	Central Area
5.1	Existing Transport Network
5.2	Proposed Transport Network
7.1	First Phase Implementation

अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश के मध्य भाग में स्थित है, नगर में नरसिंह भगवान का मंदिर होने से इसका नाम "नरसिंहपुर" पड़ा है। इसके उत्तर और दक्षिण में विन्ध्य और सतपुड़ा पर्वत है एवं उत्तरी भाग में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। यह जिला मुख्यालय मुंबई-इलाहाबाद मुख्य रेल्वे लाईन पर स्थित है एवं जबलपुर से 93 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नरसिंहपुर नगर 22°45 उत्तरी अक्षांश तथा 78°38 पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत उंचाई 359.8 मीटर है। नरसिंहपुर नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 से जुड़ा हुआ है। नरसिंहपुर जिला संभागीय मुख्यालय जबलपुर से 93 कि.मी. एवं प्रदेश मुख्यालय भोपाल से 265 कि.मी. दूरी पर है।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस नगर का नरसिंहपुर नाम नगर में स्थित प्राचीन, नरसिंह जी के मंदिर से पड़ा। सन् 1782 के पश्चात लुटेरा ग्राम चाबर पाठा परगने को छोड़कर जो मराठों के अधिकार में था, जिले के वर्तमान मुख्यालय में आ बसा जो उस समय एक छोटा सा गाँव था और 'गडरिया खेड़ा' कहलाता था, जो बाद में छोटा गाडरवारा कहलाने लगा। उसने दिलहेरी और पिथौरा के जागीरदारों को लूटा और इस स्थान पर लूट की कुछ सामग्री से एक महल और भगवान नरसिंह जी का मंदिर बनवाया, उसने ही इस मंदिर के नाम इस गाँव का 'नरसिंहपुर' नाम रखा। तथापि उस समय तक यह जिला नहीं कहलाता था और उसे शाहपुर ही कहा जाता था जो कि पुराने परगने का मुख्यालय था।

1.1.3 नगर का महत्व

इस क्षेत्र का भौतिक विकास ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। लेकिन नगर विकास के इतिहास का प्रारंभ सन् 1867 से होता है, सन् 1867 में यहाँ नगर पालिका बनाई गई तथा टाउन हॉल का निर्माण सन् 1891 में किया गया। नगर के टाउन हाल के सार्वजनिक उद्यानों में जिसमें कई स्थानों जैसे बरहटा आदि से एकत्र की गई दर्शनीय शिल्पकला कृतियाँ रखी गई है। इस संग्रह में नक्काशीदार तथा दक्षित स्तम्भ, द्वार, शहतीर, आकृतियाँ और कुछ पुरानी तोपें हैं। इनमें सबसे अधिक दर्शनीय अत्यंत कलात्मक ढंग से नक्काशी किया हुआ द्वार है, जो लिंटल के उपर से सम्पूर्ण ब्लॉक को छोड़ अच्छी हालत में है। इस ब्लॉक की आकृतियों के अवशेषों से पता चलता है कि वे गरुड़ पर आरूढ़ भगवान राम और लक्ष्मण की आकृतियाँ हैं। एक स्तम्भ पर योगी मकरध्वज तथा 700 संख्या खुदी हुई है। इस योगी के नामांकन से युक्त अनेक शिला लेखों में योगी के नाम के साथ प्रायः 700 संख्या भी खुदी पाई जाती है नगर के उत्तर में एक रमणीय

दर्शनीय स्थल है, जहाँ प्राकृतिक झरने है। यहाँ मकर संक्रांति को वार्षिक मेला लगता है। इसके नैत्रत्य की ओर एक झरना है जो "सिद्ध का झिरना" कहलाता है। जहाँ पर महाशिवरात्रि को मेला लगता है।

नरसिंहपुर "वन संपदा परिक्षेत्र" में स्थित है। नरसिंहपुर नगर द्रुतगति से बढ़ता हुआ वाणिज्यिक नगर है। पहले यह नगर हाथ से बुनाई, रंगाई तथा जिल्दसाजी के प्रगत हस्त शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था। अब नरसिंहपुर गल्ला व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है।

1.1.4 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ


मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित महाकौशल प्रदेश परिक्षेत्र में जबलपुर, कटनी जिले समाहित हैं। प्रदेश परिक्षेत्र मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। यह परिक्षेत्र सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग द्वारा मध्यप्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी जुड़ा है।

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र महाकौशल प्रदेश परिक्षेत्र के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। नरसिंहपुर नगर मुंबई-इलाहाबाद मुख्य रेल्वे लाईन पर स्थित है। नरसिंहपुर नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 गुजरता है।




नरसिंहपुर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1-सा-1

क्रमांक	समीपस्थ नगर	दूरी (कि.मी)
1	2	3
1.	जबलपुर	93
2.	छिंदवाडा	125
3.	सिवनी	130
4.	दमोह	158
5.	सागर	137
6.	होशंगाबाद	211
7.	रायसेन	191
8.	भोपाल	265



1.2 Location Map



 Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

 Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Landuse & Urban Survey Division

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

नरसिंहपुर नगर समतल भू-भाग पर स्थित है। यह नरसिंहपुर एवं कंदेली क्षेत्र को सम्मिलित कर बना है तथा इसमें एक छोटी सिंगरी नदी बहती है, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। वर्षा का जल एवं नालियों का गन्दा पानी इसी में मिलकर बहता हुआ उत्तर की ओर बाहर निकल जाता है।

1.2.2 जलवायु

इस जिले की जलवायु गर्मी के मौसम को छोड़कर सामान्यतः सुखद मानी जाती है। विन्ध्य क्षेत्र में होने से यहां की जलवायु सौम्य है। जिले का तापमान न्यूनतम 25–26 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 45–46 डिग्री सेल्सियस तक उपर पर चढ़ जाता है। मई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 41° सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अधिकतम तापमान अप्रैल से जून माह में रहता है। शीतकाल में न्यूनतम तापमान 8° सेल्सियस पहुँच जाता है। सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एवं जनवरी माह में पड़ती है। नगर में औसत वर्षा 1282 मि०मी० दर्ज की गई है। अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है।

1.2.3 वायु दिशा

मौसम कार्यालय नागपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर नगर में वायु की दिशा मानसून अवधि में दक्षिण-पश्चिम और पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है। शीत काल में प्रातः वायु की दिशा दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व रहती है, जबकि सायं काल में वायु प्रवाह की दिशा पूर्व तथा उत्तर के मध्य रहती है। ग्रीष्म काल में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम में रहती है।

वर्षा ऋतु को छोड़कर वायु की गति साधारण रहित है, मानसून के दौरान गति तीव्र होती है, और कभी-कभी यह 40–50 किलो मीटर प्रति घण्टे तक पहुँच जाती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण दूषित करने वाले उद्योग नगर की उत्तरी दिशा में स्थापित किए जाने चाहिए जिससे नगर प्रदूषण मुक्त रहे।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-79-2006-32 दिनांक 30.03.2010 द्वारा म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 में प्रकाशित होकर प्रभावशील की गई थी।

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार नरसिंहपुर नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह नरसिंहपुर विकास योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। नरसिंहपुर विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर के आबादी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने हेतु नवीन आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव।
2. वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।
3. नगर के भावी औद्योगिक विकास प्रदान करने हेतु कृषि आधारित उद्योग हेतु प्रावधान।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग पर भावी विकास के दृष्टिगत रखते हुए मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव।
5. नगर की ट्रांसपोर्ट गतिविधि हेतु बायपास पर ट्रांसपोर्ट नगर।
6. नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु तालाब/नदी के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान।

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

नगरीय बसाहट के विस्तार के समय उसके समीपस्थ स्थित ग्रामीण बसाहट का नगरीय क्षेत्र में समाहित होना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस बसाहट के आस-पास के विकास का नियंत्रण नगर के भविष्य में होने वाली विस्तार के परिपेक्ष्य में किया जाना

नितान्त आवश्यक है। नगरीय एवं ग्रामीण केन्द्रों में उचित जन-सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन दोनों के मध्य समन्वय होना चाहिए।

इसको दृष्टिगत रखते हुए नरसिंहपुर नगर एवं आसपास के 07 ग्रामों को निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, ताकि विकास पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक 897/तैंतीस-73 दिनांक 18 मार्च 1974 के द्वारा निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-


नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

सारणी 1-सा-2

क्र.	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
1.	करहैया खेड़ा	317.03	666
2.	डेडवारा	190.74	2177
3.	खैरी (गवजी)	568.47	147
4.	खमतारा	462.56	2379
5.	रोसरा (स्टेशन)	245.70	6770
6.	बॉस कुवारी	84.74	1007
7.	नकटुआ	197.86	3254
	(अ) ग्रामीण क्षेत्र	2067.10	16400
	(ब) नगर पालिका क्षेत्र	1471.10	59966
	योग-(अ)+(ब)	3538.20	76366

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण।

टीप: 1. नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 3538.20 हेक्टेयर अंकित किया गया था। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3579.51 हेक्टेयर होता है। इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 3579.51 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।



1.5.2 नगर पालिका नरसिंहपुर

नगर पालिका नरसिंहपुर की स्थापना फिरंगी शासन के दौरान सन 1864 में हुई थी और इस तरह वर्ष 2015 तक नगर पालिका 151 वर्ष का इतिहास समेटे हुए है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर कुल 28 वार्डों में विभक्त है एवं नगरीय निकाय का कुल क्षेत्रफल 14.71 वर्ग कि.मी. है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 59966 है।

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं।

नरसिंहपुर नगर का विकास जिला कार्यालय, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन के समीप होने से उत्तरी दिशा के ग्रामों में डेडवारा, कंदेली, रॉसरा की ओर आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहा है दक्षिण दिशा में रेल्वे लाइन और सींगरी नदी होने से नगर का विकास सीमित हो गया है, इसके फलस्वरूप छिंदवाडा मार्ग पर विकास विशेष रूप से हुआ है।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में नरसिंहपुर नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है।

नगर का विकास, उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है। नरसिंहपुर नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित समतल भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजना में विद्यमान सिंगरी नदी पर सघन वृक्षारोपण, भू-दृश्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रभाव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ-साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना अंतर्गत जी.आई.एस. तकनीक आधारित विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मानक तैयार किये गए हैं। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों एवं सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.

तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 अमृत योजना

“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियो रिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2-सा-1 में दर्शाये गये हैं।

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2-सा-1

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली


भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लास तथा सब-क्लास (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

सारणी 2-सा-2

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution satellite data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद



3

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

नरसिंहपुर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है— संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है—

- **धरातल विशेषताएँ**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आवर्जन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना ।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं ।

- **यातायात विशेषताएँ**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पदचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गी वासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएँ**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ।

- **सार्वजनिक सुविधाएँ**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र।

अतः एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजना निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित हैं।

2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता आमोद-प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना।

1. संपूर्ण नरसिंहपुर नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।

3. जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसको मानचित्र पर अंकन करना।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।


● **जनगणना के आँकड़े**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

नरसिंहपुर नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली प्रस्तुत है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन. आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:—

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली



2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार, नरसिंहपुर जिले के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित हैं। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2-सा-3 में दर्शाया गया है।

जियो-स्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी सारणी 2-सा-3

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-03		Major District Road
	01-06		Bypass
	01-08		Service road
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, नरसिंहपुर

निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में दर्शायी गई है।


जियो-स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)

सारणी 2-सा-4

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS		
1	2	3	4		
1	06-04	Residential	House		
	06-05		Group of Houses		
	06-06		Apartment		
2	07-01	Commercial	Retail		
	07-02		Wholesale		
	07-03		General Business		
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant		
	07-05		Shopping Centre / Mall		
	07-06		Multiplex / Cinema		
	07-07		Function Hall / Marriage Garden		
	07-08		Warehouse		
	07-09		Storage Godown		
	07-11		Petrol Pump / LPG filling station		
	07-13		Hostel		
	07-14		Market (Daily & Weekly) / Mandi		
	3		08-01	Industries	Manufacturing
			08-08		Agro Based & Food Processing
08-11		Other Industries			
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial		
	09-02		Residential & Household Industry		
	09-03		Residential & Educational		
	09-04		Residential & Health Services		
	09-06		Commercial & Health Services		
	09-07		Commercial & Educational		
	09-10		Residential & Commercial & Health Services		
5	10-01	Educational	School		
	10-02		College		
	10-03		University		

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	10-04		Vocational Institute
	10-05		Anganwari
	10-06		Training Institute
6	11-01	Health Services	Government Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-03		Diagnostic Centre
	11-04		Clinic/Dispensary
	11-05		Nursing Home
	11-06		Primary/Community Health Centre
	7		12-01
12-02		Central Government Quarter	
8	13-01	State Govt. Property	State Government Office
	13-02		State Government Quarter
9	14-01	Railway	Railway Property
10	15-01	Public & Semi-public	Private Office
	15-02		Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-07		Jail
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-10		Community Hall
	15-11		Dharmashala
	15-18		LPG/CNG Gas Booking Office
	15-25		Public/Community Toilet
	15-26		Social Welfare Centre
	15-28		Old Age Home
	15-31		ATM
	11		16-01
16-02		Mosque	
16-03		Idgah	
16-04		Church	
16-05		Gurudwara	
16-09		Aashram/Math/Bhojanshala	
12		17-01	Recreational
	17-02	Park	
	17-03	Play Ground	
	17-06	Gymnasium	

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	17-08		Stadium
	17-15		Amusement/Theme Park
13	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-04-01		Electric Power Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
14	20-04	Communication	Satellite & Telecommunication Centre
15	24-01	Transportation	Bus Stand /Terminus
	24-02		Railway Station
	24-03		Railway Yard
	24-10		Truck Terminus
16	25-04	Traffic related	Multi-level Parking
17	26-02	Rural	House
18	2102	Heritage	Fort
19	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-11		Poultry farm
	33-13		Slaughter House
	33-14		Dairy booth



2.3.1.3 ग्राम/वार्ड सीमा

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगर पालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका परिषद् सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में दर्शायी गई है।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	37-05	Municipal Boundaries	Narsinghpur Municipal Boundary

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

ढलान का प्रतिशत = $(\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2-सा-6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-6


क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	<1	2167.67
2.	1-3	960.83
3.	3-5	269.37
4.	5-10	164.82
5.	10-15	15.43
6.	>15	1.39
योग		3579.51


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण


2.3.1.5 मृदा


संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land Use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की जो उपयोगिता निर्धारित करती है, का उपयोग किया है, मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया।


नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्रोत- एन.बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) के आधार पर अध्ययन कर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है। इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है।











मृदा विश्लेषण

सारणी 2-सा-7

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हे.में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Fine	1222.19	34.14
2	Fine Loamy	1626.57	45.45
3	Built up	646.25	18.05
4	Waterbody	84.50	2.36
	Total	3579.51	100

2.3.1.6 बाढ़ आपदा

इस जानकारी हेतु ढलान, जलाशय मानचित्र, प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है।

2.3.1.7 जलाशय

वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सागर नगर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-8 में दर्शायी गई है।


जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-8

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	05-02	Water Bodies	Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-06		Lake

2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रैक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया।



2.3.1.9 भूमि मूल्य

मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।


2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड


नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से बारह भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी 2-सा-9 में दर्शायी गयी है।


भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-9

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	FluOri - Flood Plain	1651.77	46.15
2.	Older Flood Plain	1196.99	33.44
3.	Built up	646.25	18.05
4.	Waterbody	84.50	2.36
	Total	3579.51	100







2.3.1.11 जल स्रोत बफर

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 84.50 हेक्टेयर है। नरसिंहपुर में नरसिंह तालाब एवं सिंगरी नदी जैसे मुख्य जलाशय स्थित है। जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2-सा-10 में दर्शायी गई है।

जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-10

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	Water Body	84.50
2.	15m	149.20
3.	30m	145.64
4.	45m	142.69
5.	60m	138.75
	कुल निवेश क्षेत्र	3579.51

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न


विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। नरसिंहपुर नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।



2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2-सा-11 में दिया गया है।

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2-सा-11

Weighted Index for Composite Land Suitability [Model-1] (Equal Weightage to All Layers)

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	14	Agriculture	9
2			Wasteland	7
1	GEOMORPHOLOGY	14	Old Flood Plain	9
2			Flood Plain	4
1	GROUND WATER PROSPECTS	12	Excellent	4
2			Very Good	9
1	SOIL	12	Fine	9
2			Fine Loamy	6
1	ROAD BUFFER	12	100m	9
2			200m	8
3			500m	7
4			>500m	5
1	WATER BODIES BUFFER	12	15m	2
2			30m	3
3			45m	5
4			60m	7
5			>60m	9
1	SLOPE	12	<1	9
2			1-3	7
3			3-5	5
4			5-10	3
5			10-15	2
6			>15	1
1	LAND VALUE	12	<5000	9
2			5000-10000	8
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			>25000	4

**Weighted Index for Composite Land Suitability [Model-2]
(Land use, Road Buffer and
Water body Buffer given more Weightage)**


S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	20	Agriculture	9
2			Wasteland	7
1	GEOMORPHOLOGY	8	Old Flood Plain	9
2			Flood Plain	4
1	GROUND WATER PROSPECTS	8	Excellent	4
2			Very Good	9
1	SOIL	8	Fine	9
2			Fine Loamy	6
1	ROAD BUFFER	20	100m	9
2			200m	8
3			500m	7
4			>500m	5
1	WATER BODIES BUFFER	20	15m	2
2			30m	3
3			45m	5
4			60m	7
5			>60m	9
1	SLOPE	8	<1	9
2			1-3	7
3			3-5	5
4			5-10	3
5			10-15	2
6			>15	1
1	LAND VALUE	8	<5000	9
2			5000-10000	8
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			>25000	4


**Weighted Index for Composite Land Suitability [Model-3]
(Landuse, Road Buffer and
Water body Buffer, Slope given more Weightage)**

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	20	Agriculture	9
2			Wasteland	7
1	GEOMORPHOLOGY	5	Old Flood Plain	9
2			Flood Plain	4
1	GROUND WATER PROSPECTS	5	Excellent	4
2			Very Good	9
1	SOIL	5	Fine	9
2			Fine Loamy	6
1	ROAD BUFFER	20	100m	9
2			200m	8
3			500m	7
4			>500m	5
1	WATER BODIES BUFFER	20	15m	2
2			30m	3
3			45m	5
4			60m	7
5			>60m	9
1	SLOPE	20	<1	9
2			1-3	7
3			3-5	5
4			5-10	3
5			10-15	2
6			>15	1
1	LAND VALUE	5	<5000	9
2			5000-10000	8
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			>25000	4


स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।





Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal



घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक है। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

Land Suitability Area

सारणी 2-सा-12

[Model-1]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	1375.48	38.42
Moderately Suitable	1486.44	41.53
Less Suitable	616.78	17.23
Not Suitable	100.82	2.82
TOTAL	3579.51	100

[Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	1809.21	50.55
Moderately Suitable	1041.44	29.09
Less Suitable	642.97	17.96
Not Suitable	85.89	2.40
TOTAL	3579.51	100

[Model-3]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	1736.68	48.52
Moderately Suitable	1434.93	40.09
Less Suitable	353.50	9.87
Not Suitable	54.40	1.52
TOTAL	3579.51	100

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model-1, Model-2 एवं Model-3 तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2-सा-14 में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-2] में लगभग 1809.21 हेक्टेयर भूमि Highly Suitable प्राप्त हुई। अतः [Model-2] का चयन अंतिम रूप से नरसिंहपुर विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त कार्य प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात भूमि उपयोग मानचित्र वस्तु स्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 1.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 387.10 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था जिसमें से वर्ष 2022 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 136.20 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3-सा-1 में दिया गया।

3.1.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)			विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)		विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)
		क्षेत्र	प्रतिशत	प्रस्ता. भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	172	44.43	4.11	108.22	79.46	63.78
2	वाणिज्यिक	26.5	6.84	0.40	5.7	4.19	20.8
3	औद्योगिक	28	7.25	0.45	1.88	1.38	26.12
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	23.7	6.14	0.80	9.47	6.95	14.23
5	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	28.6	7.38	0.40	0.73	0.54	27.87
6	आमोद-प्रमोद	36	9.29	0.40	7.86	5.77	28.14
7	यातायात एवं परिवहन	72.3	18.67	1.80	2.34	1.72	69.96
योग		387.10	100.00	8.36	136.20	100	250.9

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

*नरसिंहपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-3 भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2021) के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

3.1.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3-सा- 2

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)			विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)		विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)
		क्षेत्र	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	आवासीय	292.69	60.75	2.93	108.22	79.46	184.47
2	वाणिज्यिक	14.55	3.02	0.15	5.7	4.19	8.85
3	औद्योगिक	27.87	5.78	0.28	1.88	1.38	25.99
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	24.57	5.10	0.25	9.47	6.95	15.1
5	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	12.17	2.53	0.12	0.73	0.54	11.44
6	आमोद-प्रमोद	37.66	7.82	0.38	7.86	5.77	29.8
7	यातायात एवं परिवहन	72.3	15.0	0.38	2.34	1.72	69.96
योग		481.81	100	4.49	136.20	100	345.61


स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीप:- नरसिंहपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-3 भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन 2021 एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।


NARSINGPUR
3.1 EXISTING LANDUSE

Legend

RESIDENTIAL	आवासीय	R1
GENERAL RESIDENTIAL	सामान्य आवासीय	R2
MIXED	मिश्रित	C1
COMMERCIAL	वाणिज्यिक	C2
GENERAL	सामान्य	I1
MANDI	मण्डी	I2
INDUSTRIAL	औद्योगिक	R
GENERAL INDUSTRIES	सामान्य उद्योग	G1
RECREATIONAL	आनंद प्रमोद	G2
PARK	उद्यान	P
STADIUM	स्टैडियम	T1
PUBLIC & SEMIPUBLIC	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	T2
TRANSPORTATION	परिवहन	T3
BUS STAND	बस स्थानक	T4
ROADS	मार्ग	T5
RAILWAY STATION	रेलवे स्टेशन	T6
RAILWAY LINE	रेलवे लाइन	
BRIDGE	पुल	
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	A1
WATERBODIES	जलाशय	
AGRICULTURE	कृषि भूमि	
BOUNDARIES	सीमाएं	
PLANNING AREA	नियंत्रित क्षेत्र	
VILLAGE	ग्राम	
MUNICIPAL	नगर पंचिका	



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: World View-II, 2020 Satellite Data & Ground Verification



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

23-01-2023

विभिन्न भूमि उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है :-

आवासीय

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत 292.69 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 108.22 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है।

वाणिज्यिक

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत 14.55 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 5.7 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है।

वाणिज्यिक विकास

सारणी 3-सा-3

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4
1.	यातायात नगर/मैकेनिक नगर	निवेश इकाई क्रमांक-2	क्रियान्वित नहीं
2.	साप्ताहिक बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1	क्रियान्वित नहीं

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई। अतः पुनर्नियोजन कर नरसिंहपुर नगर की आवश्यकता अनुसार सामान्य वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, ताकि वाणिज्यिक कार्य केन्द्रों का विकास किया जा सके।

औद्योगिक

औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 27.87 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

औद्योगिक विकास

सारणी 3-सा-4

क्रमांक	विवरण / प्रकार	विकास योजना 2021के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4	5
1	औद्योगिक	निवेश इकाई क्रमांक 2	27.87	क्रियान्वित नहीं

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में 27.87 हेक्टेयर भूमि उपयोग अंतर्गत औद्योगिक प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना निजी भूमि होने से तैयार नहीं की गई। अतः पुनर्नियोजन कर निवेश क्षेत्र में पृथक से औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 36.74 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें उक्त निजी भूमि होने एवं स्थानीय संस्था द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक के विकास हेतु कोई योजना तैयार नहीं के कारण क्रियांवयन नहीं हुआ। अतः सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक उपयोगों का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा।

आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 37.66 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। पुराना नरसिंहपुर मार्ग एवं बांसकुवारी में नदी के तटीय क्षेत्र को उद्यान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया जिसका क्रियांवयन का कार्य स्थानीय संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आमोद-प्रमोद विकास

सारणी 3-सा-5

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4
निवेश इकाई क्रमांक-1 एवं 2			
1.	सेक्टर पार्क/उद्यान, नगर उद्यान, नगर वन/वृक्षारोपण	2	क्रियान्वित नहीं

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में आमोद-प्रमोद प्रस्तावित किया गया था, परन्तु स्थानीय संस्था द्वारा आमोद-प्रमोद स्थलों के विकास की कोई योजना तैयार नहीं की गई। क्रियान्वयन प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित आमोद-प्रमोद क्षेत्र की भूमि वर्तमान विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत भी होने से क्रियान्वयन नहीं हो सका। अतः वर्तमान स्थिति के अनुरूप एवं पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों का समावेश करते हुए आमोद-प्रमोद स्थलों का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा।

यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियाँ एवं मार्गों का आंशिक क्रियान्वयन हुआ।

यातायात एवं परिवहन विकास

सारणी 3-सा-6

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4
1.	बायपास मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) लखनादौन-करेली मार्ग	60.00	क्रियान्वित है
2.	मुख्य मार्ग		
	सरक्युलर मार्ग आर-1	30.00	क्रियान्वित नहीं
	प्रस्तावित आर-2	24.00	क्रियान्वित नहीं
	प्रस्तावित आर-4	12.00	आंशिक क्रियान्वित

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में ग्राम रोसरा में प्रस्तावित बस स्थानक का विकास हुआ है तथा विकास योजना 2021 में मार्गों को प्रस्तावित किया गया था, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग-44 मार्ग एवं ग्राम के अतिरिक्त स्थानीय संस्था द्वारा मार्ग निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई। मार्गों को यथावत रखा जाना उचित होगा।

3.2 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

नरसिंहपुर विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया था। जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3-सा-7 में दर्शायी गयी है।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3-सा-7

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	क्रियान्वयन स्थिति 2022
1	2	3	4	5
1	मांस बाजार	इतवारा बाजार	ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में	क्रियान्वित नहीं
2	दाल मिल एवं तेल मिल	नरसिंह तालाब के सामने	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	बन्द
3	सॉमिल, आरा मशीन	नरसिंह तालाब के सामने	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	क्रियान्वित नहीं
4	अनाज एवं किराना गोदाम	स्टेशन गंज रोड पर	ग्राम रोसरा कृषि उपज मंडी के पास	क्रियान्वित नहीं
5	लौह वास्तु वर्क्स	पुराना बस स्टैंड के पास	प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर	क्रियान्वित नहीं
6	पत्थर फर्शी	वर्धमान ट्रेडर्स पाठक वार्ड	ग्राम डेडवारा रिंग मार्ग पर	क्रियान्वित नहीं
7	वर्कशॉप (कार्यशाला) पुराना बस स्टैंड	पुराना बस स्टैंड के पास	महिला पॉलीटेकनिक के पास	क्रियान्वित नहीं
8	थोक सब्जी मंडी	इतवारा बाजार	ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में	क्रियान्वित नहीं

3.3 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.3.1 जनसंख्या विश्लेषण

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में नरसिंहपुर जिले के अन्तर्गत होने से नरसिंहपुर परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। विवरण सारणी 3-सा-8 में दर्शाया गया है।

राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला)

सारणी 3-सा-8

क्र.	प्रदेश/जिला	जनसंख्या-2011	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश	7,26,26,809	3,76,12,306	3,50,14,503	931
2.	सागर जिला	23,78,458	12,56,257	11,22,209	893
3.	दमोह जिला	12,64,219	6,61,873	6,02,346	910
4.	छिन्दवाडा जिला	2090922	1064468	1026454	964
5.	नरसिंहपुर जिला	10,91,854	5,68,810	5,23,044	920
6.	सिवनी जिला	13,79,131	695879	683252	920
7.	रायसेन जिला	13,31,597	7,00,358	6,31,239	901
8.	जबलपुर जिला	24,63,289	12,77,278	11,86,011	929

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011


उपरोक्त सारणी का अवलोकन उपरांत यह ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंग अनुपात 1000 से कम है। उक्त सारणी में सबसे कम लिंगानुपात नरसिंहपुर जिले में एवं सबसे अधिक लिंगानुपात छिंदवाडा जिला में है। कुल जनसंख्या विवरण अनुसार अधिकतम जनसंख्या जबलपुर जिले में है।

3.3.2 वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3-सा-9

Ward	Population			Child pop (0-6)			SC Pop			ST pop.			Literates		
	T	M	F	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1	1477	780	697	86	72	158	56	47	103	16	23	39	648	547	1195
2	2310	1184	1126	136	130	266	169	137	306	8	8	16	956	824	1780
3	2146	1130	1016	130	110	240	393	341	734	31	26	57	855	660	1515
4	2035	1069	966	150	96	246	68	54	122	39	33	72	842	757	1599
5	1559	783	776	61	61	122	40	19	59	24	20	44	697	635	1332
6	2238	1129	1109	113	115	228	52	56	108	40	42	82	960	884	1844
7	2406	1239	1167	138	137	275	197	178	375	66	73	139	971	800	1771
8	1683	877	806	97	69	166	129	122	251	88	100	188	734	645	1379
9	2366	1233	1133	150	127	277	225	218	443	81	61	142	915	782	1697
10	2017	1046	971	107	117	224	58	67	125	10	12	22	874	730	1604
11	1977	1014	963	103	111	214	89	96	185	9	16	25	857	758	1615
12	4557	2551	2006	231	174	405	349	292	641	157	104	261	2109	1554	3663
13	1525	784	741	96	85	181	164	161	325	48	43	91	611	528	1139
14	2291	1195	1096	127	115	242	33	40	73	22	17	39	1032	896	1928
15	2143	1096	1047	111	75	186	20	18	38	10	7	17	950	914	1864
16	1242	651	591	55	49	104	1	4	5	0	0	0	583	500	1083
17	1413	717	696	62	61	123	16	14	30	10	12	22	629	586	1215
18	1523	801	722	75	68	143	50	47	97	10	5	15	698	567	1265
19	1550	838	712	83	45	128	44	31	75	35	31	66	734	611	1345
20	1669	838	831	83	90	173	103	92	195	10	10	20	677	592	1269
21	2193	1170	1023	134	115	249	58	53	111	56	39	95	954	770	1724
22	2304	1199	1105	122	115	237	146	142	288	67	64	131	1026	869	1895
23	1845	929	916	70	66	136	61	65	126	54	45	99	843	819	1662
24	2604	1332	1272	168	133	301	424	415	839	60	64	124	1060	887	1947
25	2237	1187	1050	123	98	221	211	172	383	175	186	361	962	735	1697
26	1628	837	791	86	73	159	221	215	436	44	40	84	725	649	1374
27	1600	818	782	106	104	210	118	119	237	20	21	41	636	542	1178
28	5428	2782	2646	238	249	487	317	307	624	138	144	282	2489	2242	4731
Total	59966	31209	28757	3241	2860	6101	3812	3522	7334	1328	1246	2574	26027	22283	48310

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011




Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


NARSINGPUR
3.3 WARD WISE POPULATION DISTRIBUTION

Legend

Population Density (Persons/Hectare)




- National Highway
- Road
- Railway Line
- Waterbody
- Municipal Area Boundary
- Village Boundary
- Planning Area Boundary



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: Census of India, 2011



वर्ष 17 मई 1867 में नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका का गठन किया गया। नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में केवल नरसिंहपुर नगर का वार्ड वार विश्लेषण— कुल शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षरता जनसंख्या की जानकारी विवरण सारणी में दर्शायी गयी है।

नरसिंहपुर नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 59966 है, जो वर्ष 2001 में 53681 थी।

जनसंख्या लिंगानुपात


नरसिंहपुर नगर क्षेत्र का लिंगानुपात 921 है। नरसिंहपुर नगर के वार्ड क्रमांक 20 में लिंगानुपात सबसे अधिक 992 है तथा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 12 में 786 है। अन्य वार्डों के लिंगानुपात का विवरण सारणी 3—सा—10 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3—सा—10

क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<800	12	01
2.	800-850	19	01
3.	850-900	01,03,21,25	04
4.	900-950	04,07,08,09,10,11,13,14,16,18,22,26	12
5.	>950	02,05,06,15,17,20,23,24,27,28	10
योग			28

स्रोत:— भारत की जनगणना 2011



शिशु जनसंख्या

नरसिंहपुर में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 23 में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 7.4 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत का विवरण सारणी 3-सा-11 में दर्शाया गया है।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3-सा-11

क्र.	शिशु जनसंख्या (0-6) प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<10	01,03,05,06,07,08,11,12,13,14,22,23,25,26,27,28	16
2.	10-20	02,09,15,16,21	05
3.	20-30	04,10,18,24	04
4.	>30	17,19,20	03
योग			28

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

शिशु लिंगानुपात


नरसिंहपुर नगर का शिशु लिंग अनुपात 882 है। नगर के वार्ड क्रमांक 10 में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक 1093 है तथा वार्ड क्रमांक 19 में सबसे कम 542 है। अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3-सा-12 में दर्शाया गया है।


वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा-12

क्र.	शिशु लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1	<600	19	01
2	600-700	04,15	02
3	700-800	08,12,24,25	04
4	800-900	01,03,09,13,16,21,26	07
5	900-1000	02,05,07,14,17,18,22,23,27	09
6	>1000	06,10,11,20,28	05
योग			28

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011





अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुक्रम में 12.23 एवं 4.3 प्रतिशत है एवं जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वार्ड क्रमांक 24 में सबसे अधिक 37 प्रतिशत है एवं न्यूनतम वार्ड क्रमांक 16 में 0.4 प्रतिशत है। वार्डों में जनसंख्या का विवरण सारणी 3-सा-13 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3-सा- 13

क्र.	अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<10	01,04,05,06,10,14,15,16,17,18,19,21	12
2.	10-20	02, 11,12,20,22,23,27,28	08
3.	20-30	07,08,09,13	04
4.	>30	03,24,25,26	04
योग			28

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

साक्षरता

नरसिंहपुर नगर में साक्षरता दर 80.6 प्रतिशत है। वार्ड क्रमांक 3 में साक्षरता दर सबसे कम 70.6 प्रतिशत है एवं सबसे अधिक वार्ड क्रमांक 23 में 90.1 प्रतिशत है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-14 में दर्शाया गया है।

साक्षरता प्रतिशत**सारणी 3-सा-14**

क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<75	03,07,09,13,24,27	06
2.	75-80	02,04,10,20,21,25	06
3.	80-85	01,06,08,11,12,14,18,22,26	09
4.	85-90	05,15,16,17,19,28	06
5.	>90	23	01
योग			28

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

कार्यशील जनसंख्या

नरसिंहपुर नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक 28 में 6.56 प्रतिशत एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक 13 में 63.61 प्रतिशत पाया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3-सा-15 में दर्शाया गया है।

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

सारणी 3-सा-15

क्र.	कार्यशील सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<10	27,28	02
2.	10-20	12,14,15	03
3.	20-30	01,02,03,04,06,07,09,10,16,18,20,21,25,26	14
4.	30-40	05,11,17,19,22,23,24	07
5.	>40	08,13	02
योग			28

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.3.3 जनसंख्या घनत्व

नरसिंहपुर नगर का सकल घनत्व 46 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-16 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा-16

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व(व्यक्ति/हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1	नेहरू वार्ड	25.19	1477	59
2	शंकर वार्ड	21.21	2310	109
3	निरंजन वार्ड	300.61	2146	7
4	महाजनी वार्ड	9.95	2035	205
5	नरसिंह वार्ड	15.04	1559	104
6	संजय वार्ड	76.83	2238	29
7	किसानी वार्ड	100.76	2406	24
8	पाठक वार्ड	83.79	1683	20
9	बेलापुरकर वार्ड	19.26	2366	123
10	शिवाजी वार्ड	8.57	2017	235
11	तिलक वार्ड	29.90	1977	66
12	मुशरान वार्ड	66.82	4557	68

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व(व्यक्ति/हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
13	कृष्णा वार्ड	29.61	1525	52
14	गयादत्त वार्ड	67.17	2291	34
15	राम वार्ड	17.71	2143	121
16	गांधी वार्ड	5.60	1242	222
17	बजरंग वार्ड	1.56	1413	906
18	पटेल वार्ड	5.35	1523	285
19	इंद्रा वार्ड	3.18	1550	487
20	आजाद वार्ड	1.76	1669	948
21	कामथ वार्ड	20.14	2193	109
22	शास्त्री वार्ड	30.96	2304	74
23	शंकराचार्य वार्ड	26.52	1845	70
24	राजीव वार्ड	12.73	2604	205
25	नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड	65.21	2237	34
26	शहीद भगत सिंह वार्ड	160.75	1628	10
27	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	43.65	1600	37
28	वीरांगना रानी अवंतीबाई वार्ड	57.36	95	95
	कुल		59966	46

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिका नरसिंहपुर (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है। वार्ड क्रमांक 20 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 948 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्ड क्रमांक 17 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 906 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 3 में 7 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-17 में दर्शाया गया है।


जनसंख्या घनत्व


सारणी 3-सा-17

क्र.	जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<100	01,03,06,07,08,11,12,13,14,22,23,25,26,27,28	15
2.	100-200	02,05,09,15,21	05
3.	200-300	04,10,16,18,24	05
4.	300-400	-	-
5.	400-500	19	01
6.	>500	17,20	02
योग			28

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नरसिंहपुर नगर भिन्न-भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्याधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके।





3.3.4 जनसंख्या परिवर्तन

- नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसका विवरण निम्न सारणी 3-सा-18 में दिया गया है।

सारणी 3-सा-18

जनसंख्या 2011		योग
नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2011
1	2	3
59966	16400	76366

स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का आंकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर में भी असमानता होती है।

- नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न-भिन्न कारणों से होती है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके।

नरसिंहपुर नगर में दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा-19

क्र.	वर्ष	जनसंख्या	दशक वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	1961	17940	—
2.	1971	25552	42.2
3.	1981	34266	34.1
4.	1991	41032	19.7
5.	2001	54819	33.6

6.	2011	59966	9.4
औसत दर			27.8

स्रोत:— भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि नरसिंहपुर नगर की वर्ष 1961 से 1971 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम रही है।

ग्रामीण क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा-20

क्र.	वर्ष	जनसंख्या	दशक वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	1991	7779	—
2.	2001	11898	33.0
3.	2011	16400	37.8


स्रोत:— भारत की जनगणना 2011

3.4 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय धन संपदा, क्षेत्रीय महत्व आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का निर्धारण किया जा सकता है। नरसिंहपुर नगर के प्रमुख कार्यकलाप प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से मूलतः प्रभावित हैं।

3.5 नगरीय विस्तार

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3-सा-21 में स्पष्ट है।



नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3-सा-21

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	2004 तक	446.29
2.	2004 to 2011	605.65
3.	2011 to 2021	656.98
	कुल	1708.9

वर्ष 2010 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः नरसिंहपुर के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2015-2019 की समयावधि में नगर विस्तार रौसरा, डेडवारा, कंदेली, बांसकुवारी के आस-पास के क्षेत्र में हुआ।

3.6 अनुमानित जनसंख्या

3.6.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या


नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 एवं 2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-22 में दर्शाया गया है।

नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-22

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2035
1	2	3	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	69112	84232
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	68365	80964
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	76724	111036
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	63949	70425

जनसंख्या आंकलन (शहर)



ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या


नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों के दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 एवं 2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-23 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-23

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2035
1	2	3	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	21094	28308
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	20711	26745
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	23741	39848
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	23812	40137

जनसंख्या आंकलन (ग्रामीण)



नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3-सा-24

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	112540
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	107709
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	150884
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	110862

नरसिंहपुर विकास योजना-2035 की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से ज्यामितिय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 150884 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 107709 अनुमानित की गई है।

3.6.2 जनसंख्या आंकलन

अनुमोदित नरसिंहपुर विकास योजना-2021 एक लाख आबादी के लिये तैयार की गई थी। नरसिंहपुर नगर महाकौशल परिक्षेत्र का प्रमुख नगरीय कार्यकेन्द्र होने से आस-पास की जनसंख्या का अस्थायी रूप से आवागमन रहता है एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थायी निवास के रूप में प्राथमिकता रहती है। तदपि पिछले दशक 2001 से 2011 में नगर में शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की स्थापना हुई है, जिससे नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का आगमन हुआ है। नरसिंहपुर नगर की विगत दशकीय

जनसंख्या वृद्धि दरों एवं भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए नरसिंहपुर विकास योजना 2035 हेतु जनसंख्या 1.35 लाख अनुमानित की गई है।

3.7 गंदी बस्तियाँ

नगर पालिका नरसिंहपुर में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 23 हैं, जिसमें लगभग 3260 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। इसके अतिरिक्त 823 इकाईयां जीर्ण-शीर्ण स्थल में होने से अधिसूचित की गई हैं। इस प्रकार कुल गंदी बस्ती में लगभग 4083 झुग्गी झोपड़ियाँ स्थित है जिसे सारणी 3-सा-25 में दर्शाया गया है।

गंदी बस्ती विवरण

सारणी 3-सा-25

क्र.	गंदी बस्ती वार्ड का नाम	मकानों की संख्या
1	2	5
1.	ईदगाह के पास	55
2.	आदर्श कॉलोनी क्षेत्र	95
3.	बासोरी मोहल्ला	110
4.	भाटिया टोला	470
5.	जलारिया मोहल्ला	30
6.	महोबिया मोहल्ला	240
7.	होरी वाला टोली, गणेश मंदिर	150
8.	मस्जिद के पास, किसानी वार्ड	70
9.	पानी टंकी के पीछे	35
10.	रामनगर रेलवे लाईन के पास	60
11.	बारिया मोहल्ला	250
12.	हजरत गंज मोहल्ला	120
13.	रिपटा पार	30
14.	जगदम्बा कॉलोनी	160
15.	सांकल रोड	110
16.	वेयर हाउस के पीछे	320
17.	उत्कृष्ट स्कूल के पीछे	150
18.	कुहारी मोहल्ला	45
19.	पानी टंकी के पास	230

क्र.	गंदी बस्ती वार्ड का नाम	मकानों की संख्या
1	2	5
20.	थिंदनी रोड	120
21.	मिशन स्कूल के पीछे	140
22.	पलंखेट नालके कॉलोनी	90
23.	मुश्रान वॉन बस्ती	180
	कुल	3260

3.8 आवास आवश्यकता

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 16970 परिवार आवासों में निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का आकार 4.5 व्यक्ति आता है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है। इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगर पालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 4083 झुग्गी झोपड़ियाँ पायी गई हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3-सा-26 में दर्शित है।

आवासीय इकाइयों की कमी (वर्ष 2011)

सारणी 3-सा-26

क्र.	विवरण	कुल संख्या	पुनर्स्थापना का प्रतिशत	आवास इकाइयों की कमी
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2011 में कमी	-	-	-
2.	कच्चे मकान	823	-	823
3.	झुग्गी झोपड़ियाँ	3260	-	3260
	योग			

स्रोत:- नगर पालिका नरसिंहपुर/नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आकलन के अनुसार नरसिंहपुर नगर लगभग कुल 4083 आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3-सा-27 में दर्शाया गया है।

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

सारणी 3-सा- 27

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों	
		वर्ष 2011	वर्ष 2035
1	2	3	4
1.	जनसंख्या	59966	135000
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	—	75034
3.	औसत परिवार का आकार	4.5	4.5
4.	अतिरिक्त परिवार	—	16675
6.	वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता	—	—
कुल आवास की आवश्यकता		20758	

स्रोत:— नरसिंहपुर नगर पालिका नरसिंहपुर एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 4.5 है एवं वर्ष 2035 में यह 4.5 व्यक्ति अनुमानित किया गया है। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 20758 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी।

3.9 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.35 लाख तक पहुंचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

जल प्रदाय

मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति

व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :-

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3-सा- 28

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1.	2011	59966	135	8.1 एम.एल.डी.
2.	2035	135000	135	18.2 एम.एल.डी.

नरसिंहपुर नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु ग्राम चिनकी उमरिया नर्मदा नदी से मौजा डेडवारा में स्थित संयंत्र में जल शोधन ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जिसकी क्षमता 131 एम.एल.डी. है एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल 6 टंकियां हैं जिनकी क्षमता 5.4 एम.एल.डी. जल संग्रहण क्षमता है।

नरसिंहपुर नगर में अमृत योजना के जल प्रदाय हेतु निम्नलिखित अधोसंरचना विकास किये जाने प्रस्तावित है-

1. कुल 5.4 एम.एल.डी. जल संग्रहण क्षमता हेतु 6 टंकियां।
2. जल शोधन हेतु 131 एम.एल.डी. का शोधन संयंत्र ।

जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता

सारणी 3-सा- 29

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	2	3
1.	वर्ष 2011 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	8.1 एम.एल.डी.
2.	वर्तमान जल आपूर्ति	
3.	वर्ष 2035 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	18.2 एम.एल.डी.

जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे।

नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होंगी।

अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट

वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

नरसिंहपुर नगर में वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 1.35 लाख अनुसार 14.5 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

वर्षा जल निकासी

नरसिंहपुर शहर में स्थित समतल न होने के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन की भारत में सफल शुरुआत एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप समस्त निवेश क्षेत्र में घर से कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है, जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्रोत सिद्ध होगी। पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ट, कागज, लोह धातु, कांच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठोस अपशिष्ट के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

नरसिंहपुर नगर में प्रतिदिन लगभग 19.25 टन कचरा उत्पन्न होता है। ठोस अपशिष्ट विसर्जन हेतु नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के बाहर ग्राम देवरीकलां (करेली मार्ग) में लगभग 5.00 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिक निगम नरसिंहपुर को आवंटित की गई है।

नरसिंहपुर नगर से निकलने वाले कचरे को नगरीय निकाय की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को

जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया एवं नाडेब टांके से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है।

नरसिंहपुर शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है—

- शहर में सैलानियों, व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जाना चाहिये।
- तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलाने वाले, गंदगी के स्थानों का चिह्नित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन नगरीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिये।

विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम कंदेली, ग्राम रौसरा, मुख्य फीडर ग्राम डेडवारा में स्थित 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है। नगर का भावी विकास के अनुरूप विद्युत कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जावेगी।

3.10 सामाजिक अधोसंरचना

शासकीय कार्यालय

जिला मुख्यालय होने के कारण नगर में अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय से लगकर स्थित हैं। अधिकांश कार्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन है तथा शेष कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं, जो शहर के अलग-अलग भागों में स्थित हैं।

शैक्षणिक

नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में शासकीय स्नातक महाविद्यालय तथा शासकीय महिला महाविद्यालय, एम.आई.एम.टी. महाविद्यालय है।

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या की शैक्षणिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने हेतु निवेश इकाई, खण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तर पर विभिन्न स्तर की शैक्षणिक संस्थायें आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3-सा- 30

क्र.	स्कूल	U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के मानक	इकाईयों की संख्या	वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	स्कूल	7500 जनसंख्या पर 1	16	02
2.	महाविद्यालय	1.25 लाख जनसंख्या पर 1	03	00
3.	आई.टी.आई	10 लाख की जनसंख्या पर 1	02	00

स्रोत:—शिक्षा विभाग, नगर पालिका नरसिंहपुर एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

स्वास्थ्य

नगर में वर्तमान में एक 166 बिस्तरों वाला शासकीय चिकित्सालय है, जिसमें प्रसूति, नेत्र तथा क्षय रोग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। निवेश इकाई स्तर पर विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु उपदर्शित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

सारणी 3-सा-31

क्र.	स्वास्थ्य सुविधा	U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के मानक	इकाईयों की संख्या	वर्ष-2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	सामान्य चिकित्सालय	80000 जनसंख्या पर 1	01	01
2.	औषधालय/ उप-स्वास्थ्य केन्द्र/ प्रसूति गृह एवं नर्सिंग होम	75000 जनसंख्या पर 1	05	0

स्रोत:— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका नरसिंहपुर एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

अग्निशमन

अग्निशमन केन्द्र वर्तमान में नगर पालिका परिसर में स्थित है, जिसका आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुवर्धियों से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

पुलिस कार्यालय

नरसिंहपुर नगर में 4 पुलिस थाने हैं। पुलिस थाने मुशरान पार्क के पास एवं तहसील कार्यालय के पास में स्थित है। नगर का महिला थाना एवं अनुसूचित जनजाति पुलिस कार्यालय कोतवाली तहसील कार्यालय के पास में स्थित है एवं यातायात पुलिस कार्यालय मुशरान पार्क में स्थित है।

इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन

नरसिंहपुर शहर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई-रिक्शा लोक वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है।

श्मशान घाट/कब्रिस्तान


नगर में वर्तमान में जो भी श्मशान/कब्रिस्तान विद्यमान हैं वे तब तक उपयोग में रहेंगे, जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावे। नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद-प्रमोद एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जावेगा।


सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं


सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में नरसिंहपुर नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।







सामाजिक एवं सांस्कृतिक

नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है। विकास योजना में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई हैं। इस उपयोग अंतर्गत सभागृह, कलावीथिका, पुस्तकालय सह वाचनालय इत्यादि स्थापित हो सकेंगे। विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी गतिविधियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय -4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई थी। भारत सरकार द्वारा नरसिंहपुर नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु वर्ष 2022 में चयन किया गया। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

4.2 योजना अवधारणा

नरसिंहपुर नगर समतल भू-भाग पर स्थित है। यह नरसिंहपुर एवं कंदेली क्षेत्र को सम्मिलित कर बना है तथा इसमें एक छोटी नदी सीगरी बहती है, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। वर्षा का जल एवं नालियों का गंदा पानी इसी में मिलकर बहता हुआ उत्तर की ओर बाहर निकल जाता है।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुए नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्ति युक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा।

वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित रिंग मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, वर्तमान में प्रस्तावित रिंग मार्ग का क्रियांवयन नहीं होने से सुचारु यातायात बाधित है जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्रों में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान मौजा देवरीकलां जो निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है जिसमें किया गया है।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

नरसिंहपुर विकास योजना के अनुसार नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2035 में जनसंख्या 1.35 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सुविधाएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्र सम्मिलित हैं। अन्य क्षेत्रों में रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। नरसिंहपुर हेतु 120 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व की अनुशंसा की जाती है। इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 1125 हेक्टेयर भूमि कुल 1.35 लाख की जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी। नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।


4.4 भूमि उपयोग 2035

नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 1138.06 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की 11.38 भू-उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है।


NARSINGPUR
4.1 DEVELOPMENT PLAN 2036 (DRAFT)

Legend

EXISTING PROPOSED	आवासीय	R1
RESIDENTIAL	व्यापार, आवासीय	R2
GENERAL RESIDENTIAL	विहार	
MIXED	वाणिज्यिक	C1
COMMERCIAL	वाण्य	C2
GENERAL	महल	
INDUSTRIAL	औद्योगिक	I
GENERAL INDUSTRIAL	समान्य उद्योग	
RECREATIONAL	आरिष्ट शरीर	O1
PARK	उद्यान	O2
AFFORESTATION	सुरक्षित	O3
STADIUM	स्टैडियम	
PUBLIC & SEMIPUBLIC	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	
PUBLIC INSTITUTIONS AND	सार्वजनिक विद्यालय और	
GENERAL	सार्वजनिक अस्पताल और	
EDUCATIONAL AND RESEARCH	सार्वजनिक अस्पताल/विद्यालय और	
INSTITUTIONAL ACTIVITIES	अनुसंधान/विद्यालय/संस्कृतिक/	
	सांस्कृतिक संस्थान/संस्कृतिक	
PUBLIC UTILITIES &	सार्वजनिक सेवाएं एवं	PUF1
FACILITIES	सुविधाएं	
TRANSPORTATION	परिवहन	
BUS STAND	बस सडक	T1
ROADS	मार्ग	T2
RAILWAY STATION	रेलवे स्टेशन	T3
RAILWAY LINE	रेलवे लाइन	T4
BRIDGE/TOLLS	सुरा/ सडकशुल्क	T5
TRAMPORIT MARG	सडकजड मडर	T7
WATERSODIES	उडरजड	
AGRICULTURE	उडर	
VILLAGE ABBADI	उडर	
EXTENSION	उडर	
BOUNDARIES	उडर	
PLANNING AREA	उडर	
VILLAGE	उडर	
MUNICIPAL	उडर	



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Directorate of Town & Country Planning



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

26-03-2023

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4-सा-1

क्र.	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र 2022		प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
			क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	आवासीय	292.69	108.22	79.46	528.20	46.41	5.28
2.	वाणिज्यिक	14.55	5.7	4.19	47.58	4.18	0.48
3.	मिश्रित	-	-	-	126.47	11.11	1.26
4.	औद्योगिक	27.87	1.88	1.38	16.34	1.44	0.16
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	24.57	9.47	6.95	127.14	11.17	1.27
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	12.17	0.73	0.54	30.83	2.71	0.31
7.	आमोद-प्रमोद	37.66	7.86	5.77	25.51	2.24	0.26
8.	यातायात एवं परिवहन	72.3	2.34	1.72	235.99	20.74	2.36
योग		481.81	136.20	100	1138.06	100	11.38

नोट:- वर्ष 2035 की जनसंख्या 1.35 लाख अनुमानित की गई है।

आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 528.20 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 46.41 प्रतिशत है।

वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 47.58 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 4.18 प्रतिशत है।

मण्डी

वर्तमान में कृषि उपज मण्डी ग्राम रोसरा एवं सूरजगांव में स्थित है। नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम करहियाखेडा में मण्डी प्रस्तावित की गई है।

मिश्रित

नगर में मिश्रित उपयोग हेतु नरसिंहपुर से करेली बायपास वर्तमान निर्मित 60.00 मीटर चौड़े मार्ग को दोनों ओर, ग्राम वांसकुवारी-नकुटवा-नरसिंहपुर-खैरी में मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

औद्योगिक

नगर में औद्योगिक उपयोग हेतु ग्राम खमतारा में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र के बाहर नरसिंहपुर से करेली बायपास मार्ग पर ग्राम देवरीकलां में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग क्षेत्रों से नगर के औद्योगिक विकास की पूर्ति हो सकेगी।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 127.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.17 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत सामान्य सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु प्रस्तावित उपयोगों की पूर्ति हो सकेगी।

प्रशासकीय परिसर

नरसिंहपुर नगर में विभिन्न विभागों के कार्यालय नगर में स्थित है। ग्राम नरसिंहपुर खास में संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के रूप में विकसित है।

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान उपयोग सहित 5.0 हेक्टेयर भूमि नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के बाहर करेली मार्ग पर ग्राम देवरीकलां में प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत नगर हेतु कचरा संधारण केन्द्र एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि का आरक्षण किया गया है।

आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 25.51 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.24 प्रतिशत है। आमोद-प्रमोद गतिविधि मानव

जीवन का अभिन्न अंग है, खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसके कारण नगर में स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होता है। नगर में स्थित सिंगरी नदी से लगकर वृक्षारोपण का प्रस्ताव दिया गया है। इसी के साथ-साथ जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय उद्यान एवं पिकनिक स्थल

क्षेत्रीय उद्यान एवं पिकनिक स्थल हेतु ग्राम खमतारा में भूमि प्रस्तावित की गई है।

नगर उद्यान

वर्तमान में विकसित नगर उद्यानों को संरक्षित करते हुए नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में नगर उद्यान के प्रस्ताव दिए गए हैं। गांधी चौक के पास सिंगरी नदी से लगकर उद्यान प्रस्तावित किया गया है।

स्टेडियम

वर्तमान में नरसिंहपुर में गेस्ट हाउस के सामने नगर पालिका परिषद का स्टेडियम संचालित है। नगर की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम खमतारा में स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है।

यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 235.99 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 20.74 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में बायपास का निर्माण किया गया है।

4.5 निवेश इकाईयाँ

नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाईयाँ में विभक्त किया गया था। विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाईयाँ के क्षेत्र को यथावत रखा गया है। निवेश इकाई का विवरण सारणी 4-सा-2 में दर्शाया गया है।

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4-सा-2


क्र.	निवेश इकाईयाँ	
	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक -1	1896.3
2	निवेश इकाई क्रमांक -2	1683.2
	योग	3579.5

- निवेश इकाई क्रमांक-1

- निवेश इकाई क्रमांक-1 के उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा, दक्षिण में जबलपुर-भोपाल रेल लाइन के, उत्तर-पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तथा पूर्व में ग्राम खमतारा की सीमा स्थित है, निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1896.3 हेक्टेयर है।

- निवेश इकाई क्रमांक-2


निवेश इकाई क्रमांक-2 के दक्षिण में जबलपुर-भोपाल रेल लाइन, दक्षिण- पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तथा दक्षिणी पूर्व में ग्राम खमतारा की सीमा क्षेत्र में मुख्यतः वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य मिश्रित भू-उपयोग विद्यमान है। निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1683.2 हेक्टेयर है।



4.6 मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र

नरसिंहपुर मध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः नगर का पुराना एवं निर्मित क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें आवासीय, शासकीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित होती आरही हैं। यह क्षेत्र नगर के मुख्य मार्ग को सम्मिलित करता है जो की मध्य क्षेत्र मानचित्र में दर्शाया गया है।



4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अधिसूचित गंदी बस्ती हैं। नगर पालिका नरसिंहपुर द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा एवं स्थानीय संस्था द्वारा योजना बनायी जाकर क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में आबादी विस्तार एवं सुविधाओं का विकास सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा।

4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

असंगत भूमि उपयोगों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार है।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 4-सा-3

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग
1	2	3	4	5
1	मांस बाजार	इतवारा बाजार	ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में	वाणिज्यिक
2	दाल मिल एवं तेल मिल	नरसिंह तालाब के सामने	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय / मिश्रित
3	सॉमिल, आरा मशीन	नरसिंह तालाब के सामने	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय / मिश्रित
4	अनाज एवं किराना गोदाम	स्टेशन गंज रोड पर	ग्राम रोसरा कृषि उपज मंडी के पास	वाणिज्यिक
5	लौह वास्तु वर्क्स	पुराना बस स्टैंड के पास	प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर	वाणिज्यिक
6	पत्थर फर्शी	वर्धमान ट्रेडर्स पाठक वार्ड	ग्राम डेडवारा रिंग मार्ग पर	मार्ग
7	वर्कशॉप (कार्यशाला) पुराना बस स्टैंड	पुराना बस स्टैंड के पास	बस स्टैंड	वाणिज्यिक
8	थोक सब्जी मंडी	इतवारा बाजार	ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में	वाणिज्यिक
9	सोयाबीन फेक्ट्री	ग्राम खैरी	बंद	कृषि

स्रोत : मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् / नगर तथा ग्राम निवेश

अध्याय 5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि हैं।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है। दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्य केन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों/रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है।

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

नरसिंहपुर नगर की प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना रेलवे लाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-44 के रेखांकन एवं स्थिति के परिपेक्ष्य में नगर बस्तियों को आपस में जोड़ते हुए नगर को यथा संभव सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है, अतः नगर मध्य से गुजरने वाले सीधे यातायात के लिए वृत्तीय मार्ग के रूप में क्षेत्रीय सरकुलर मार्ग प्रस्तावित कर संपूर्ण नगरीय यातायात को गतिशील एवं सुरक्षित बनाना है। परिभ्रमण संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है।

दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।

- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास।
- मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुँच मार्गों की व्यवस्था करना।
- क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।

5.3 अंतर्नगरीय यातायात

रेल यातायात

नरसिंहपुर नगर से मध्य रेलवे के जबलपुर-भोपाल रेल मार्ग पर स्थित होकर मुम्बई, हावडा, दिल्ली, एवं प्रयागराज जैसे प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। नगर का मुख्य रेलवे स्टेशन नरसिंहपुर है।

सड़क मार्ग

नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 मार्ग नगर से गुजरता है, जो कि नगर को देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जोड़ता है।

5.4 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगर यातायात हेतु क्षेत्रीय/स्थानीय मार्गों यथा नरसिंहपुर-भोपाल, नरसिंहपुर-छिंदवाडा, नरसिंहपुर-जबलपुर, नरसिंहपुर-लखनादौन, मार्ग विद्यमान हैं, इनमें से नरसिंहपुर-जबलपुर, नरसिंहपुर-छिंदवाडा मार्ग पर यातायात का अधिकतम दबाव है।

नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में जितने भी क्षेत्रीय/नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे, उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस कारण से प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरूप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है।


मार्गों की श्रेणी

- बायपास मार्ग/वृत्तीय मार्ग

वर्तमान में (नरसिंहपुर-करेली मार्ग) का निर्माण हो चुका है।

- उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग)

प्रस्तावित बायपास मार्ग को नगर के वर्तमान मार्गों से जोड़ते हुए यातायात संरचना के आधार पर उपक्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के प्रस्ताव किये हैं। इन मार्गों की चौड़ाई 30.00 मीटर, 24.00 मीटर, 18.00 मीटर एवं 12.00 मीटर रखी गई हैं।



- **ग्रामीण मार्ग**

ग्रामीण मार्गों की चौड़ाई 12.00–18.00 मीटर प्रस्तावित है।

5.5 मार्गों की चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय इनके क्रियान्वयन का महत्व, दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषतायें आदि ध्यान में रखी गई हैं। सारणी 5-सा-1 में निवेश क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई हैं।

नरसिंहपुर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5-सा-1

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	यातायात प्रकार
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44	60	निर्मित	क्षेत्रीय सीधा यातायात
2	सरक्युलर मार्ग आर-1	30	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-2	24	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-3	24	प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-4	12	यथावत प्रस्तावित	
	प्रस्तावित आर-5	18	प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-6	18	प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-7	18	प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-8	18	प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	प्रस्तावित आर-9	18	प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
3	साकल मार्ग			
	अ- जैन मंदिर तिराहे से रिंग मार्ग तक	30	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	ब- रिंग मार्ग के बाहर	36	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	स- साकल मार्ग से रिंग मार्ग तक	24	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	द- रिंग मार्ग के बाहर	36	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
4	जरजोला मार्ग			
	अ- जरजोला तिराहे से रिंग मार्ग तक	18	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	ब- रिंग मार्ग के बाहर	36	यथावत	नगर/क्षेत्रीय

			प्रस्तावित	यातायात
5	पुराना नरसिंहपुर मार्ग			
	अ- गोंधी चौक से झिरना तक	18	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	ब- झिरना से रिंग मार्ग तक	24	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	स- रिंग मार्ग के बाहर	36	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
6	छिंदवाड़ा मार्ग			
	अ- सिंगपुर तिराहे से सीगरी नदी तक	18	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	ब- सीगरी नदी से बाय पास तक	24	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	स- बाय पास के बाहर	36	यथावत प्रस्तावित	नगर/क्षेत्रीय यातायात


नरसिंहपुर : वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5-सा-2

क.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई 2021	पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
1	स्टेशन के सामने से हमीद खान मालगुजार तक	10-12	12	यथावत प्रस्तावित
2	हमीद खान मालगुजार से जैन मंदिर	20-24	24	यथावत प्रस्तावित
3	जैन मंदिर तिराहे से मुख्य मार्ग तक (स्टेशन के सामने)	15-18	18	यथावत प्रस्तावित
4	लखनादौन रेल्वे कांसिंग से मुशरान पार्क तक	30-36	36	यथावत प्रस्तावित
5	मुशरान पार्क से सुभाष पार्क चौराहे तक (कंदेली मुख्य मार्ग)	15-18	18	यथावत प्रस्तावित
	(अ) मुशरान पार्क से कन्या शाला तक	-	18	यथावत प्रस्तावित
	(ब) कन्या शाला से बस स्टैण्ड तक	-	12	यथावत प्रस्तावित
	(स) बस स्टैण्ड से सुभाष पार्क चौराहे तक	-	18	यथावत प्रस्तावित
6	मुशरान पार्क से एल.आई.सी तिराहे तक	16-18	18	यथावत प्रस्तावित

7	एल.आई.सी तिराहे से सुनका तिराहे तक	10-12	12	यथावत प्रस्तावित
8	सुनका तिराहे से सांकल तिराहे तक	15-18	18	यथावत प्रस्तावित
9	सांकल तिराहे से सुभाष पार्क चौराहे तक	22-24	24	यथावत प्रस्तावित
10	सुभाष पार्क चौराहे से गांधी चौक (अस्पताल के सामने)	32-36	36	यथावत प्रस्तावित
11	सुभाष पार्क चौराहे से गांधी चौक (कचहरी मार्ग)	15-18	18	यथावत प्रस्तावित
12	डिग्री कॉलेज मार्ग	10-12	12	यथावत प्रस्तावित
13	गांधी चौक से राजेश दाल मिल तक	15-18	18	यथावत प्रस्तावित
14	राजेश दाल मिल से निर्मल चंद जैन तक	07-09	09	यथावत प्रस्तावित
15	निर्मल चंद जैन से नरसिंह तालाब चौराहे तक	09-12	12	यथावत प्रस्तावित
16	नरसिंह तालाब से प्रस्तावित आर-2 तक	15-18	18	यथावत प्रस्तावित
17	आर-2 के बाहर	30-36	36	यथावत प्रस्तावित
18	पुराना बस स्टैंड से एल.आई.सी. कार्यालय चौराहा तक	07-09	12	प्रस्तावित

नोट: जिन स्थानों पर वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, उसे यथावत रखा जावे।



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

5.6 यातायात पद्धति में सुधार

यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना, ट्रैफिक आयलैण्ड का निर्माण करना आदि शामिल है।

मार्ग संगमों में सुधार

पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखित चौराहों के विकास/सुधार के प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनका विकास नहीं हो सका, अतः पुनर्विलोकित विकास योजना में इनका विकास/सुधार किया जाना यथावत प्रस्तावित किया गया है :-

1. सुभाष पार्क चौराहा
2. साकल तिराहा
3. गांधी चौक
4. मुशरान पार्क तिराहा
5. सिंहपुर तिराहा
6. सुनका तिराहा
7. मगरधा रोड पर वायपास चौराहा

रेल्वे स्टेशन

नरसिंहपुर रेल्वे स्टेशन ग्राम रोसरा में नरसिंहपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है।

बस स्थानक

वर्तमान बस स्टैण्ड रिक्त होने पर स्थल पर वाणिज्यिक विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में महिला पोलीटेक्नीक समीप बस स्टैण्ड प्रस्तावित था जिसे नगर पालिका नरसिंहपुर द्वारा क्रियांवित किया गया है।

वाहन विराम स्थल

मध्य क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग हेतु कोई स्थल अभी तक विकसित नहीं किया गया है। पार्किंग मुख्यतः मार्गों के किनारे की जाती हैं, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। यातायात सुचारु रूप से हो सके इसके लिये वर्तमान मुख्य मार्गों के किनारे उचित विकास कर पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है। इस हेतु मध्य क्षेत्र में निम्न स्थल प्रस्तावित है :

- 1- इतवारा बाजार।
- 2- जिला चिकित्सालय के सामने।
- 3- तहसील तिराहे के पास।

4- रेलवे स्टेशन के पास मालगोदाम से लगकर।

ओव्हर ब्रिज

नरसिंहपुर नगर का विकास दक्षिणी दिशा में रेलवे लाइन होने के कारण अवरुद्ध हुआ है इसलिये इस रेलवे लाइन पर नगरीय/क्षेत्रीय यातायात सुचारू रूप से संचालित करने के लिये वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया गया है। कंदेली मुख्य मार्ग से ओव्हर ब्रिज तक मार्ग संकीर्ण है, जिसका चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय— 6 विकास नियमन

6.1 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वह म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी, संचालक, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल होंगे जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों की विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।
3. विकास योजना प्रस्तावों को विस्तार पूर्वक परिक्षेत्रिक योजना में भी दर्शाया जा सकेगा। इस विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात परिक्षेत्रिक योजना बनाने की कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वप्रेरणा से किसी भी समय अथवा राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार तैयार की जावेगी। यह संभावना हो सकती है, कि विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों एवं उपयोग परिक्षेत्रों के रेखांकन में क्रियान्वयन की दृष्टि से यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में आंशिक संशोधन करना पड़ सकता है। ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जिसे विकास योजना प्रस्तावों का भाग माना जावेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गये हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं।
5. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
6. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी/झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, उस दिशा में सिर्फ नदी/नाले/तालाबों का जल ग्रहण

- क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्गों के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी/झोपड़ी का व्यवस्थापन मान्य होगा।
7. विकास योजना रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र क्षेत्रफल की गणना एवं रेखीय माप हेतु उपयोग नहीं किये जावेंगे। इस हेतु 1:4000 माप पर बने राजस्व खसरा मानचित्रों का उपयोग किया जावेगा। विकास योजना में संलग्न नक्शे आधार मानचित्र को छोटे रूप में करके लगाये गये हैं। संपूर्ण निवेश क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं प्रस्तावित मार्ग संरचना के मानचित्रों में निहित प्रस्ताव मध्य क्षेत्र हेतु लागू नहीं होंगे।
 8. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप आवश्यक होने पर अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमन हो सकते हैं। प्रथम चरण में विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार करना नितांत आवश्यक है।
 9. प्रत्येक उपयोग की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ स्थल पर विद्यमान मार्ग/ड्रेन एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
 10. जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रकरणों में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृति/अनापत्ति दी गई है एवं उनकी समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
 11. अपरिहार्य परिस्थितियां तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधि हेतु विचारों उपरांत विकास अनुज्ञा प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित कर सकती है।
 12. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधियां, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
 13. कुछ विशिष्ट क्षेत्र जहाँ रक्षा संक्रमण अधिनियम 1903 के उपबंध के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित एवं अधिसूचित क्षेत्र में निवेश अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी व रक्षा विभाग के कमान अधिकारी से पूर्विक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसे प्रकरणों को निराकृत करने हेतु सक्षम रहेगा। भवनों की ऊँचाई पर प्रतिबंध तथा खिड़की एवं दरवाजे की स्थिति पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।
 14. कुछ विशिष्ट क्षेत्र जहां सुरक्षा की दृष्टि से भवन निर्माण पर प्रतिबंध है, राज्य शासन, गृह विभाग से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे प्रकरणों में आदेश पारित करने

- हेतु सक्षम रहेगा। भवनों की ऊँचाई पर प्रतिबंध तथा खिड़की एवं दरवाजे की स्थिति पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।
15. ऐसी अवस्था में जबकि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल सुधारे गये मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।
 16. नदी/नाले/तालाबों का जलग्रहण क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्गों के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में शासकीय भूमि का उपयोग राज्य/केंद्र शासन की परियोजना अनुसार उपांतरित माना जायेगा।
 17. अधिनियम की धारा 30 में अनुमति के पश्चात अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिये वैध होती है, प्राप्त अनुमति के आधार पर यदि विकासकर्ता ने स्थल पर कोई भी विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा स्थल पूर्ण रूप से यथा स्थिति रिक्त अवस्था में है तो इस दशा में भूमि स्वामी (विकासकर्ता) अधिनियम की धारा 29 में आवेदन कर प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः किसी भी समय नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सकता है, यदि विकासकर्ता द्वारा विकास पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 29 में अभिन्यास पुनः संशोधन हेतु कार्यालय में प्राप्त (विचार) नहीं किया जावेगा।
 18. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अंतर्गत अनुमोदित समस्त मार्गों को को-ओर्डिनेशन मार्ग माना जावेगा। इन मार्गों का अन्य समस्त मार्ग क्षेत्रों से समायोजन किया जावेगा। उक्त को-ओर्डिनेशन मार्ग को किसी भी अवस्था में वाधित नहीं किया जा सकेगा तथा यह को-ओर्डिनेशन मार्ग सार्वजनिक मार्गों के उपयोग में लाया जाएगा।
 19. नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में कृषि उपयोग के अंतर्गत आने वाली समस्त शासकीय (नजूल) भूमि राज्य शासन की अनुमति के पश्चात केन्द्र शासन, राज्य शासन के उपक्रम के लिये सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग हेतु मान्य होगी तथा इसमें सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु विकास मापदण्ड एवं गतिविधि मान्य होगी।
 20. अधिनियम की धारा 27, 28 एवं 29 में जो भी "ले-आउट प्लान" अनुमोदन/अभिमत हेतु प्राप्त हो उनमें जनसंख्या के आधार पर भौतिक अधोसंरचना जैसे-सेप्टिक टैंक, ओव्हर हेड टैंक, सम्पवेल, ट्रांसफार्मर इत्यादि के लिये स्थान सुरक्षित रखना होगा। मानचित्र में सीवरेज एवं ड्रेनेज नेटवर्क दर्शाया जावेगा। जल प्रदाय 135 लीटर/प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन के मान से या वर्तमान में प्रचलित नियम अनुसार जल प्रदाय की व्यवस्था करना होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के लिये प्रति 100 व्यक्ति हेतु 100 वर्गमीटर का क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। सेप्टिक टैंक का निर्माण नाले एवं मार्ग के नीचे प्रतिबंधित रहेगा। ट्रांसफार्मर हेतु न्यूनतम 30

वर्गमीटर तथा सब स्टेशन हेतु न्यूनतम भूमि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के मापदण्डों के अनुसार आरक्षित करना होगी ।

21. वर्तमान में स्थित शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के पुर्नविकास योजना में संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां कुल स्वीकार्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग ही मान्य होगा ।
22. मध्य क्षेत्र में विद्यमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के प्रावधान विद्यमान भवनों/संरचनाओं पर लागू नहीं होगी। जब तक निर्मित भवन तोडकर अथवा पुर्नविकास के नवीन अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा तब तक प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई के आधार पर अनुज्ञा प्रदान की जावेगी या स्थानीय शासन अथवा राज्य शासन द्वारा लागू किये जाने वाले नियमों के अंतर्गत विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई अनुसार विस्तार किया जाएगा तब मार्गाधिकार के अंतर्गत भूमियों का एफ.ए. आर. अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत निराकृत किया जा सकेगा ।
23. आर.ई.एस. या किसी अन्य विभाग द्वारा निर्मित मार्ग का प्रस्तावित मार्ग अधिकार न्यूनतम 12 मीटर से अधिक मार्ग की लंबाई के आधार पर की जा सकेगी।

6.2 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र

मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उप विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।

भूमि उपयोग मानचित्र

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।

परिक्षेत्रिक योजना

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।

नगरीय ग्राम	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
नगरीय विरासत का क्षेत्र	नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
विकसित क्षेत्र	विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।
ऊँचे भवनों का विकास	ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
फर्शी क्षेत्र अनुपात	फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
भवन की ऊँचाई	अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
संवेदनशील क्षेत्र	परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

6.3 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है।

भू-उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा- 1

क्र०	उपयोग श्रेणियाँ	उपयोग परिक्षेत्र
1	2	3
1	आवासीय	ग्राम आबादी को सम्मिलित करते हुए आवासीय परिक्षेत्र
2	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक परिक्षेत्र
3	मिश्रित	मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र
4	औद्योगिक	औद्योगिक परिक्षेत्र
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सार्व. उपयोगिताएं	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सार्व. उपयोगिताएं परिक्षेत्र
6	आमोद-प्रमोद	आमोद-प्रमोद परिक्षेत्र
7	यातायात एवं परिवहन	यातायात एवं परिवहन परिक्षेत्र
8	कृषि	कृषि परिक्षेत्र

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र में से नरसिंहपुर नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-त्र) में निहित प्रावधानों (समय-समय पर संशोधन) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में निर्दिष्ट वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर ऐसे आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा वाणिज्यिक भूमि उपयोग परिक्षेत्र जहां पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

6-सा-2

क्रं.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विकास का प्रकार	भूतल पर निर्मित क्षेत्र	सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)				फर्शी अनुपात
					अग्र	पृष्ठ	आजू	बाजू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	3.0	0.0	0.0	0.0	1.50
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
5	9.0X15.0	135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0	1.50
6	11.10X 18.0	200	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	2.5	2.5	2.5	1.25
7	12.0X18.0	216	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.5	2.5	3.0	0.0	1.25
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	4.5	2.5	3.0	1.5	1.25
9	15.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	6.0	2.5	3.0	3.0	1.25
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	33	7.5	3.0	3.5	3.0	1.25
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	8.0	3.0	4.0	3.0	1.25
12	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	9.0	3.0	4.5	3.0	1.25
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	12.0	4.5	4.5	4.5	1.25

नोट:-

- उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की हैं जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
3. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
4. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5.00 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
5. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
6. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 30 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
7. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत।
2. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत।

मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु विकास नियमन

मध्यवर्ती क्षेत्र के मानचित्र की सीमाएं अध्याय-4 में संलग्न कर वर्णित की गई है, निम्न नियमन एवं मापदंड, मध्य क्षेत्र की सीमा में आने वाले वर्तमान मार्गों के अंदर संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे।

1. आवासीय क्षेत्र

नगर की अधिक घनत्व वाले निर्मित क्षेत्र के लिए भूखण्ड का नियमित आकार निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। मध्य क्षेत्र में वर्तमान आवास सबसे ज्यादा अनियमित आकार एवं माप के हैं, लेकिन आवश्यक घनत्व प्राप्ति तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से फर्शी तल अनुपात तथा भूखण्ड आच्छादन प्रस्तावित किए गए हैं।

आच्छादन (निर्मित क्षेत्र) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम)–

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल	90 वर्गमीटर तक
निर्मित क्षेत्र	66 प्रतिशत

फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.25
2. भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्मित क्षेत्र	90 वर्गमीटर से अधिक तथा 180 वर्गमी. तक 60 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्रानुपात	1.00
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्मित क्षेत्र	180 वर्गमीटर से अधिक 50 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्रानुपात	1.25 (9.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर 1.5)

टीप— इन क्षेत्रों में एकीकरण किए गए भूखण्डों पर बहु इकाई प्रकोष्ठ अनुज्ञेय नहीं होंगे।

2. वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्र निम्न विकास मापदंडों से नियंत्रित होगा—

नरसिंहपुर वर्तमान आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

6-सा-3

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	66 प्रतिशत	1.25
90 से अधिक 180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.00
180 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.00

टीप— मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

3. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

- मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदंडों के अनुरूप हो।
- फर्शीतल क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए फर्शीतल क्षेत्र निर्धारित होगा।
- वाणिज्यिक विकास की गड़राई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होगा।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा—

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 100 प्रतिशत
- 25 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 80 प्रतिशत

- 200 वर्गमीटरसे अधिक एवं 400 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत क्षेत्रफल वाले भूखण्ड
- 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 70 प्रतिशत
- फर्शीतल क्षेत्र अनुपात 1:1.50

टीप-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखंडों में से मार्ग, पार्क आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा, इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।
3. 100 वर्गमीटर एवं उससे अधिक, 200 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 3.0 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु आरक्षित रखना होगा।
4. 200 वर्गमीटर एवं उससे अधिक, 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 4.5 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु आरक्षित रखना होगा।
5. 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 6.0 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु आरक्षित रखना होगा।

4. वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियाँ, मार्गों पर संचालित हैं इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार वाणिज्यिक मार्ग की श्रेणि में रखा गया है—

वाणिज्यिक मार्ग—

मार्गों का वर्गीकरण सारणी 4-सा-6 में किया गया है। वर्तमान वाणिज्यिक सह आवासीय मार्गों पर 30 मीटर गहराई तक फर्शीतल क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार अनुज्ञेय होंगे—

वाणिज्यिक मार्ग

1.50

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां।

मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे।

मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियां सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी।
3. ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
4. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यवसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।

2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुर्नविकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार है:-

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6-सा-4 में दर्शाए गए हैं।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6-सा-4

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	शैक्षणिक भवन 1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला 2. प्राथमिक विद्यालय 3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 4. महाविद्यालय	40 प्रतिशत 33 प्रतिशत 30 प्रतिशत 25 प्रतिशत	1.00 1.00 1.00 1.00	12.0 12.0 12.0 24.0	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
2	स्वास्थ्य हॉस्पिटल - 100 बिस्तर हॉस्पिटल - 30 से 100 बिस्तर हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर नेच्रोपेथी सेन्टर हेल्थ सेन्टर नर्सिंग होम पॉलीक्लीनिक पेट क्लीनिक ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	24.00 18.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00		
3	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित सामुदायिक भवन उप अग्निशमन केन्द्र अग्निशमन केन्द्र डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	35 प्रतिशत 25 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत -	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -	- 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 -		
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	12.0		

टीप :- सामुदायिक सुविधा, तथा अन्य उप ख.डीय आवश्यकताओं के अन्य मापदंड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुसार मान्य होंगे।

6.4 अन्य नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6-सा-5 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-5

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटकर व्यापार - वृत्त खण्ड केन्द्र - उपवृत्त खण्ड केन्द्र - सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय - प्राथमिक - माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6.	उद्यान - नगर उद्यान - स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

- वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
- भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.50 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र -	
(अ) सम्मुख	6.00 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण -	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.00 मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के 53(iii) के प्रावधान लागू होंगे।

शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण

- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात— 1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र— 40 प्रतिशत
- भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई— 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र —

(अ) सम्मुख	6.00 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा, जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.5 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नरसिंह तालाब के किनारे न्यूनतम 30 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
2. सेंगरी नदी के किनारे न्यूनतम 15 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. अन्य नदी-नाले एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0—3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
5. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
6. उक्त क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रीड मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।

7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
9. संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

6.6 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6-सा-6

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेबरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, सुविधायें, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, छविगृह, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, शॉपिंग मॉल, खुला मॉल, मल्टिप्लेक्स, मिश्रित उपयोग।
	वाणिज्यिक	
2	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भूखण्डीय विकास को छोड़कर), फुटकर दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर/सुपर मार्केट, प्रिंटिंग प्रेस, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
3	मिश्रित	आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियां स्वीकृत होंगी।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
4.	औद्योगिक	<p>औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधा जनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, डे-केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पोहा फैक्टरी, दाल मिल, राईस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, प्लास्टिक फैक्ट्री, फिल्टर प्लांट, सुविधाएं।</p>
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	<p>अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक</p>

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर/स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/रेल्वे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, बस स्टाप, ट्रान्सपोर्ट नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, सर्विस स्टेशन, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, रिपेयर वर्कशॉप।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
8.	आमोद-प्रमोद	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लार्इंग क्लब, क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, पर्यटक कियोस्क, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विषिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र (स्टेडियम एवं उद्यान को छोड़कर)।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल, शोधन केन्द्र, ईट भट्टे, दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हाल), बालगृह, वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान व आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, ग्रामीण बैंक/ए.टी.एम., ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, वॉटर पार्क, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियां, लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट/साप्ताहिक बाजार, जेल, फाइरिंग रेंज, शूटिंग रेंज, शासकीय परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुर्नवास, सौर उर्जा संयंत्र, ढाबा, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधाएं*** समस्त प्रकार के भण्डारण।
	(ब) ग्राम आबादी विस्तार	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है, आबादी विस्तार एवं सुविधाएं।

नोट :-

- (1) 'सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- (2) "गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) "कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

6.7 अन्य सुविधाएँ

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.8 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार।

पार्किंग हेतु सामान्य मानक

पार्किंग हेतु मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट ज्ञ नियम 84 (1) अनुसार होंगे एवं अतिरिक्त मानक निम्नानुसार मान्य होंगे।

- एक से अधिक भू-उपयोगों को सम्मिलित कर किये गए विकास में पार्किंग किस उपयोग में कितना तल क्षेत्र उपयोग किया गया है के आधार पर गणना की जावेगी।
- पार्किंग तलक्षेत्र एवं ऊपर के फ्लोर पर आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित की जा सकेगी। उक्त हेतु व्हेकूलर रैंप/मैकेनाइज्ड साधन कार लिफ्ट आदि स्वीकार्य होगी। भूखण्ड पर टॉपर का निर्माण करके भी पार्किंग का प्रावधान किया जा सकेगा।
- आगंतुकों हेतु पार्किंग का प्रावधान अलग से किया जाना होगा।
- पार्किंग क्षेत्र में गाड़िया खड़ी करने हेतु क्षेत्र, ड्राइव वे एवं गलियारा (आइलस) सम्मिलित होंगे परन्तु पहुँच मार्ग, व्हीकूलर लिफ्ट एवं व्हीकूलर रैंप सम्मिलित नहीं होंगे।
- पार्किंग क्षेत्र को प्रभावी रूप से निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें रोशनी एवं हवा का संचार हो सकें।
- अगर निर्मित भवन में प्रावधानित पार्किंग का गलत अथवा प्रस्ताव के विरुद्ध उपयोग परिलक्षित होता है तो सक्षम प्राधिकारी उचित कार्यवाही कर सकेगा। साथ ही वह अवधि जिसके दौरान गलत उपयोग किया गया है उक्त हेतु भारी जुर्माना भी वसूलनीय होगा।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं आमोद-प्रमोद उपयोग परिक्षेत्र हेतु स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं आमोद-प्रमोद उपयोग परिक्षेत्र हेतु स्वीकार्य तल क्षेत्रानुपात निम्न सारणी अनुसार मान्य होंगे।

आधार तल क्षेत्रानुपात

सारणी 6-सा-7

क्रमांक	भू-उपयोग	आधार तल क्षेत्र अनुपात
1	2	3
1	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1.00

नोट:- सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक हेतु अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात सारणी 1 अनुसार मान्य होगा।

अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः सागर पालिका द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यांकों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 37359.75 लाख का व्यय अनुमानित है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग-अलग माना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

नरसिंहपुर: योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7-सा-1

क्र	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से) लाख में	उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	248.23	49.65	2482.50	148.94	100	14894.00	17376.50
2	वाणिज्यिक	24.03	7.20	360.00	14.42	100	1442.00	1802.00
3	मिश्रित	126.47	37.95	1897.50	75.88	100	7588.00	9485.50
4	औद्योगिक	6.20	3.10	155.00	3.72	100	372.00	527.00
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	18.24	7.30	365.00	10.95	100	1094.50	1459.50
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	13.87	6.95	347.50	8.32	100	832.00	1179.50
7	आमोद-प्रमोद	18.89	5.65	282.50	11.34	50	566.75	849.25
8	यातायात एवं परिवहन	48.01	36.00	1800.00	28.81	100	2880.50	4680.50
योग		503.94	153.80	7690.00	302.37	-	29669.75	37359.75

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी :

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारणा।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं।

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय/ अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगा:
 - भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
 - मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूपये मिल सके।
 - भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
 - योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोतों का विकास।
 - नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
 - भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
 - एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
 - मुख्य जल स्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं—

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना।
4. अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
5. भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-2

क्र.	विकास के घटक	प्रस्तावित स्थल
1.	2.	3.
1.	आवासीय	-
2.	वाणिज्यिक	मंडी (कंदेली)
3.	मिश्रित	राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के दोनों ओर
4.	औद्योगिक	ग्राम खमतरा
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्व.	-
6.	सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ	-
7.	आमोद-प्रमोद	सेंगरी नदी के पास गांधी चौराहा एवं ग्राम खमतरा में तालाब के पास
8.	यातायात	मार्ग (आर-1) 30 मीटर, यातायात नगर

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7-सा-2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 57.20 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 8226.50 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7-सा-3 में दिया गया है।

नरसिंहपुर: प्रथम चरण लागत

सारणी 7-सा-3

क्र	भूमि उपयोग विवरण	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन लागत (रू. 50 लाख प्रति हे. की दर से) लाख में	विकास व्यय			कुल लागत (रू. लाख में)
				क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रू. लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	-	-	-	-	0.00	0.00
2	वाणिज्यिक	1.72	86.00	1.72	100	172.00	258.00
3	मिश्रित	18.55	927.50	18.55	100	1855.00	2782.50
4	औद्योगिक	6.20	310.00	6.20	100	620.00	930.00
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	-	-	-	-	0.00	0.00
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	-	-	-	-	0.00	0.00
7	आमोद-प्रमोद	7.07	353.50	7.07	50	353.50	707.00
8	यातायात एवं परिवहन	23.66	1183.00	23.66	100	2366.00	3549.00
योग		57.20	2860.00	57.20	2860.00	5366.50	8226.50

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।

आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।

1. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
2. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
3. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
4. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
5. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
6. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
7. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
8. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
9. सागर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
10. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
11. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
12. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है।

पर्यवेक्षण समिति का गठन

आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97 राज शासन एतद द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियावित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3/130/32/97, दिनांक 20/1/98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.10 योजना की व्याख्या

नरसिंहपुर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-..... विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो

- स्वीकृत/ स्वीकार्य भू-उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा।
 5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
 6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नरसिंहपुर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः नरसिंहपुर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

परिभाषाएँ

- 001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों
- 003 आवासीय प्लेट**
एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (होस्टल)**
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**
अतिथि गृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 010 रैन-बसेरा (नाइट शेल्टर)**
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 011 फुटकर दुकानें**
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।
- 012 मरम्मत दुकान**

गृहसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टोरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लैटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

034 औद्योगिक भूखण्ड – इल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शक दीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशाने बाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

- पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधा युक्त परिसर।
- 047 वनस्पति उद्यान**
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।
- 048 पिकनिक हट/कैम्पिंग साइट**
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 049 फ्लाईंग क्लब**
ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।
- 050 माल एवं टिकट घर**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयर लाईन द्वारा टिकट घर एवं माल के भंडारण के लिए किया जाता हो।
- 051 रेल माल गोदाम**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।
- 052 रेल टिकट घर**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।
- 053 सड़क परिवहन टिकट घर**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।
- 054 वाहन विराम**
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।
- 055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषी कृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कला कृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

- 093 सामुदायिक भवन**
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।
- 094 मेला मैदान**
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।
- 095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।
- 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**
ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।
- 097 सुधार गृह**
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।
- 098 अनाथालय**
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।
- 101 पुलिस चौकी**
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 पुलिस स्टेशन**
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।
- 103 जिला पुलिस कार्यालय**
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्य कलापों वाला परिसर।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

- 106 जेल**
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 अग्निशमन पोस्ट**
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 टेलीफोन एक्सचेंज**
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।
- 113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
- 116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय**
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो।
- 117 बाग (ओरचर्ड)**
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

टीपः- उपरोक्त परिभाषाओं में उल्लेखित परिसरों में अनुशांगिक गतिविधियाँ मान्य होगी।

“परिशिष्ट”

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 897/तैंतीस-73 दिनांक 18 मार्च 1974 के द्वारा गठित नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई सीमाएं सम्मिलित करती है:-

अनुसूची नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएँ

1. उत्तर-पश्चिम में - ग्राम डेडवारा तथा ग्राम खैरी (गबजी) की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक
2. पश्चिम-दक्षिण में - ग्राम खैरी (गबजी) की पश्चिमी-दक्षिणी सीमा तक।
3. दक्षिण-पूर्व में - ग्राम नकटुआ बाँसकुआरी, रोसरा (स्टेशन) तथा ग्राम खमतरा की दक्षिणी पूर्वी सीमा तक।
4. पूर्व-उत्तर में - ग्राम खमतरा तथा ग्राम करहैया खेडा, की पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(आ. के. पाठक)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट - 2

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (3) दिनांक 18 मार्च 1974 में प्रकाशित
कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय - जबलपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार समयक रूप से अंगीकृत किया जाता है। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की भेजी जा सकती है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र समयक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें

5. उत्तर-पश्चिम में - ग्राम डेडवारा तथा ग्राम खैरी (गबजी) की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक
6. पश्चिम-दक्षिण में - ग्राम खैरी (गबजी) की पश्चिमी-दक्षिणी सीमा तक।
7. दक्षिण-पूर्व में - ग्राम नकटुआ बॉसकुआरी, रोसरा (स्टेशन) तथा ग्राम खमतरा की दक्षिणी पूर्वी सीमा तक।
8. पूर्व-उत्तर में - ग्राम खमतरा तथा ग्राम करहैया खेडा, की पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

निरीक्षण स्थल :-

1. कार्यालय नगर पालिका परिषद जिला नरसिंहपुर
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन 28 साउथ सिविल लाईन,
जबलपुर

हस्ता/-

रा.बि. बापट

संयुक्त संचालक

परिशिष्ट-3

भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2010

सूचना

क्र.एफ. 3-79 2006-बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एमद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में लिए विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई तथायोजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- 1) कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
- 2) संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर
- 3) मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगरपालिका, नरसिंहपुर

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा(5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव